छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

सोमवार, दिनांक 13 फरवरी, 2006

(माघ- 24, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत

सदन में "वन्दे मातरम्" की धुन बजाई गई।

2. महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि सदन राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा करेगा।

राज्यपाल महोदय का चल समारोह के साथ सभा में आगमन हुआ।

(राष्ट्रगान "जन गण मन" की धुन बजाई गई।)

राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया।

(राष्ट्रगान "जन गण मन" की धुन बजाई गई।)

राज्यपाल महोदय ने चल समारोह के साथ प्रस्थान किया।

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि राज्यपाल महोदय द्वारा सभा में जो अभिभाषण दिया गया है, सचिव विधान सभा उसकी एक प्रति सभा के पटल पर रखेंगे।

सचिव महोदय ने माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा सभा में दिये गये अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव

श्री अघन सिंह ठाकुर, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि महामहिम राज्यापल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

श्री संजीव शाह, सदस्य ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए दिनाँक 20, 21 एवं 22 फरवरी तथा कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन के लिए दिनाँक 14 फरवरी, 2006 को अपराह्न 3.00 बजे तक का समय नियत किया गया।

4. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय विधान सभा नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया।

1. श्री गणेश शंकर बाजपेयी
2. श्री देवलाल दुग्गा
3. श्री सत्यनारायण शर्मा
4. श्री अघन सिंह ठाकुर
5. श्री धर्मजीत सिंह

5. सभा के समय में परिवर्तन की सूचना

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली में, सभा की बैठक प्रातः 10.30 बजे से प्रारंभ होने का प्रावधान है। विगत सत्रों में यह परम्परा रही है कि सभा, सत्र के प्रथम दिन सभा की कार्यवाही प्रातः 11.00 बजे से आरंभ होने के संबंध में निर्णय लेती है। इस संबंध में उनकी सदन के माननीय नेता एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष से चर्चा हुई है। तदनुसार सभा का समय कल दिनाँक 14 फरवरी, 2006 से प्रातः 10.30 बजे के स्थान पर प्रातः 11.00 बजे से 1.30 बजे तक एवं 3.00 बजे से 5.30 बजे तक रखा जाए।

सदन द्वारा सहमति दी गई।

6. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री वंशराज तिवारी के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने स्वर्गीय श्री वंशराज तिवारी के निधन के साथ नक्सली हिंसा में मारे गए शहीदों के प्रति भी शोकोद्‌गार व्यक्त किए।

श्री भूपेश बघेल एवं श्री गणेश शंकर बाजपेयी, सदस्य ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त जन के लिए संवेदना प्रकट की गई।

12.00 बजे मध्याह्न विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 14 फरवरी, 2006 (माघ 25, शक संवत् 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,

ं

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

मंगलवार, दिनांक 14 फरवरी, 2006

(माघ- 25, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 13 प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 1,2,3,4,5,6 एवं 7 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 06 पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य, राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा भी शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 16 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार दिसम्बर, 2005 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर पटल पर रखे गए।

4. नियम 267-क के अधीन सूचनाएं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2005 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया।

5.राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि द्वितीय विधान सभा के दिसम्बर, 2005 सत्र में पारित 14 विधेयकों में से 11 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है।

सचिव, विधानसभा द्वारा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक - 30 - क की अपेक्षानुसार उपर्युक्त 11 अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण पटल पर रखा गया।

अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण को पत्रक भाग -दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

6. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक, सोमवार, दिनांक 13 फरवरी, 2006 को संपन्न हुई, जिसमें निम्नानुसार वित्तीय कार्य के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

	वित्तीय कार्य	निर्धारित समय
1	वर्ष 2005-2006 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार तथा पारण	3 घंटे
2	वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक से संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुपूरक की मांगों पर चर्चा हेतु इस प्रकार समय का निर्धारण किया गया है :-	
1.	मुख्यमंत्री से संबंधित मांगो के लिए	4 घंटे
2	गृह मंत्री श्री रामविचार नेताम से संबंधित मांगों के लिए	3 घंटे
3.	वित्त मंत्री श्री अमर अग्रवाल से संबंधित मांगों के लिए	3 घंटे
4.	पंचायत मंत्री श्री अजय चंद्राकर से संबंधित मांगों के लिए	4 घंटे
5.	आदिम जाति विकास मंत्री श्री गणेशराम भगत से संबंधित मांगों के लिए	3 घंटे
6.	राजस्व मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल से संबंधित मांगों के लिए	4 घंटे
7.	कृषि मंत्री श्री ननकीराम कंवर से संबंधित मांगों के लिए	3 घंटे
8.	जल संसाधन मंत्री श्री हेमचंद यादव से संबंधित मांगों के लिए	2 घंटे 30 मिनट
9.	स्कूल शिक्षा मंत्री श्री मेघाराम साहू से संबंधित मांगों के लिए	2 घंटे
10.	राज्यमंत्री, लोक निर्माण श्री राजेश मूणत से संबंधित मांगों के लिए	4 घंटे
11.	राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी से संबंधित मांगों के लिए	1 घंटे 30 मिनट
12.	राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री केदार कश्यप से संबंधित मांगों के लिए	1 घंटे 30 मिनट
13.	राज्यमंत्री, महिला बाल विकास सुश्री लता उसेंडी से संबंधित मांगों के लिए	1 घंटा

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शनिवार, दिनांक 25 फरवरी, 2006 को प्रात: 11.00 बजे से बैठक होगी । इस दिन वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक का उपस्थापन किया जाएगा।

वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक से संबंधित विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 2006 को तथा उक्त विधेयक पर विचार एवं पारण मंगलवार, दिनांक 28 मार्च, 2006 को होगा।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों की स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. ध्यानाकर्षण

(1) श्री नंदकुमार पटेल, रविन्द्र चौबे, डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में रतनजोत जर्मप्लाजम की चोरी होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से ध्यानाकर्षण पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।

8. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय उपाध्यक्ष ने घोषणा की कि नेता प्रतिपक्ष के अनुरोध एवं सदन के नेता की सहमति के परिप्रेक्ष्य में नियम-139 के अंतर्गत प्राप्त पूर्व में ग्राह्य सूचना को आज की कार्यसूची में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार पदक्रम-6 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा के स्थान पर अब उक्त नियम के अंतर्गत चर्चा उठाने हेतु सर्वश्री रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह एवं नंदकुमार पटेल को अनुमति प्रदान की है । अनुपूरक कार्य सूची भी जारी की जा चुकी है।

(1.38 बजे से 3.02 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2006 को सभा में दिये गये अभिभाषण में मुद्रण की त्रुटि सुधार की एक प्रति सचिव विधान सभा पटल पर रखेंगे, तत्संबंधी पत्रक भाग - दो पृथक से जारी किया जा रहा है।

सचिव विधान सभा द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2006 को सभा में दिये गये अभिभाषण में मुद्रण की त्रुटि सुधार की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई।

(2) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने कक्षा 9 वीं की पाठ्य पुस्तक में संत कबीर साहेब के बारे में गलत जानकारी दिए जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यानाकर्षित किया।

श्री मेघाराम साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

9. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा के दौरान श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री नोवेल कुमार वर्मा द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

10. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षा से उत्पन्न स्थिति

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने प्रतिवेदन पर चर्चा प्रारम्भ की एवं निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री देवजी भाई पटेल

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री नंदकुमार पटेल, इंदर चोपड़ा, धर्मजीत सिंह, नोवेल कुमार वर्मा, भूपेश बघेल, सुश्री रोजलिन बेकमेन, डॉ. शक्राजीत नायक।

(चर्चा जारी)

5.31 बजे सायं विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 15 फरवरी, 2006 (माघ, 26, शक संवत 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार, दिनांक 15 फरवरी, 2006

(माघ- 26, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

◌◌◌◌◌◌ प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 17 प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

◌◌◌◌◌◌ प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 08 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

◌◌◌◌◌◌ प्रश्न क्रमांक 04 दिनांक 22 मार्च, 2006 के लिये निर्धारित किया गया।

(12.06 बजे मान. उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

2. ध्यानाकर्षण सूचना

(1)◌◌◌◌◌◌ सर्वश्री भूपेश बघेल, धर्मजीत सिंह, मोहम्मद अकबर, सदस्य ने भिलाई स्टील प्लांट हेतु आरक्षित खदानों का पट्टा निजी औद्योगिक घरानों को दिए जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

◌◌◌◌◌◌◌◌ डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2)◌◌◌◌◌◌ सर्वश्री रविन्द्र चौबे, भूपेश बघेल, धर्मजीत सिंह, सदस्य ने बिलासपुर शहर में शराब ठेकेदारों द्वारा भय एवं आतंक फैलाने की ओर गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

◌◌◌◌◌◌◌◌ श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

◌◌◌◌◌◌ माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से ध्यानाकर्षण पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के स मय में वृद्धि की घोषणा की।

3. बहिर्गमन

◌◌◌◌◌◌ श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया।

(1.48 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

◌◌◌◌◌◌ श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने साजा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य किए जाने संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की।

5. वर्ष 2005-2006 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

◌◌◌◌◌◌ श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2005-2006 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

◌◌◌◌◌◌ उपाध्यक्ष महोदय ने इस अनुपूरक पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 16 फरवरी, 2006 की तिथि निर्धारित की।

6. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमश:)

छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

◌◌◌◌◌◌ सर्वश्री रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, नंदकुमार पटेल, सदस्य द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उठाई गई चर्चा के पुनर्ग्रहण में श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

◌◌◌◌◌◌ निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

◌◌◌◌◌◌ श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष

◌◌◌◌◌◌ डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ **अपराह्न 3.50 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 16 फरवरी, 2006 (माघ 27, शक संवत् 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।**

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

◌

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

गुरूवार, दिनांक 16 फरवरी, 2006

(माघ- 27, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 18 प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 11 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 19 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

प्रश्न क्रमांक 01 की चर्चा के दौरान शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर नेता प्रतिपक्ष, श्री महेन्द्र कर्मा के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार बजट अनुमान 2005-2006 के संदर्भ में आय तथा व्यय की प्रवृतियों की समीक्षा पटल पर रखी।

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 07 सन् 2005) की धारा 9 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-एफ-4-50/सात/राजस्व/2005/4056, दिनांक 20 दिसम्बर, 2005 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) कर नियम, 2005 पटल पर रखी।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(12.06 बजे मान. उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए ।)

(1) सर्वश्री नंदकुमार पटेल, नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने इण्डएग्रो फैक्ट्री,◌ चक्रधर नगर, रायगढ़ में दुर्घटना होने से मजदूरों की मौत होने की ओर राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ. शक्राजीत नायक, श्री रविन्द्र चौबे, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर में एक छात्रा की गोली मारकर हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।◌

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ श्री दयाल दास बघेल, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

◌◌◌◌◌◌◌◌◌ प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

◌◌◌◌◌◌◌◌◌ समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 17 फरवरी, 2006 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सादस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ अशासकीय संकल्प क्रं.◌ ◌◌◌◌सदस्य का नाम◌◌◌◌◌◌◌◌◌ ◌◌ स मय

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ 1. (क्रमांक - 11)◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌श्री धर्मजीत सिंह ◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌1

घंटा

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ 2. (क्रमांक - 12)◌ ◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌श्री धर्मजीत सिंह ◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌1 घंटा 30 मिनट

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ श्री दयाल दास बघेल, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

6. वर्ष 2005-2006 के तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

◌◌◌◌◌◌◌◌◌ उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से घोषणा की कि अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उस पर एक साथ चर्चा होती है । अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि:-

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ दिनांक 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 41, 43, 47, 55, 56, 64, 67, 69, 79 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल ि मलाकर तीन सौ छियत्तर करोड़, सड़सठ लाख, निन्यानवे हजार, दो सौ चौरानवे रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्ताव हुआ ।

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया -

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ सर्वश्री नंदकुमार पटेल,

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

शुक्रवार, दिनांक 17 फरवरी, 2006

(माघ- 28, शक संवत् 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

◌◌◌◌◌◌ प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 17 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 08 (कुल 08 प्रश्नों) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 01 तारांकित एवं 13 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. स्थगन प्रस्ताव

◌◌◌◌◌◌◌◌ मान. अध्यक्ष महोदय ने प्रदेश में नक्सली गतिविधियों में वृद्धि होने संबंधी सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, भूपेश बघेल, रविन्द्र चौबे, नंदकुमार पटेल, सत्यनारायण शर्मा, धर्मजीत सिंह, रामचन्द्र सिंहदेव, मोहम्मद अकबर, गणेश शंकर बाजपेयी, डॉ. शक्राजीत नायक, धनेन्द्र साहू, डॉ. हरिदास भारद्वाज, ओंकार शाह, सियाराम कौशिक, गुलाब सिंह, डॉ. शिव कुमार डहरिया, राजकमल सिंघानिया, मोतीलाल देवांगन, सदस्य से प्राप्त सूचनाओं में से सर्वप्रथम प्राप्त श्री महेन्द्र कर्मा, सदस्य की सूचना पढ़ी।

श्री राम विचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने स्थगन प्रस्ताव को चर्चा हेतु ग्राह्य करने की सहमति प्रदान की।

शासन की सहमति एवं माननीय सदस्यों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्थगन प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की।

स्थगन प्रस्ताव पर प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:-

सर्वश्री नंदकुमार पटेल, शिवप्रताप सिंह, धर्मजीत सिंह, देवजी भाई पटेल,

(12.57 बजे उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

श्री सत्यनारायण शर्मा,

(1.30 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री देवलाल दुग्गा, नोवेल कुमार वर्मा, डॉ. शक्राजीत नायक, कमलभान सिंह, डॉ. हरिदास भारद्वाज, सिद्धनाथ पैकरा, डॉ. शिवकुमार डहरिया, दयालदास बघेल, राजशरण भगत, उदय मुदलियार, प्रीतम साहू, लच्छुराम कश्यप, महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से स्थगन-प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

स्थगन प्रस्ताव की चर्चा के पश्चात मान. अध्यक्ष महोदय ने निम्नानुसार उद्‌गार व्यक्त किए।

3. अध्यक्षीय उद्‌गार

संसदीय इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब किसी स्थगन प्रस्ताव की शुरूआत शासन-प्रशासन की चूक और निंदा से शुरू हुई हो और समापन न सिर्फ एक दूसरे की प्रशंसा के साथ, कि सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष एक दूसरे की प्रशंसा करें बल्कि एक पक्ष के सदस्य दूसरे पक्ष के नेता की प्रशंसा करते हुए समस्या के समाधान के लिए साथ-साथ चलने का संकल्प ले रहे हैं तथा उस पूरी समस्या का परिणामदायक ढंग से समाधान हो। इसका आज यहां पर एक अनूठा प्रसंग देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ विधान सभा ने संसदीय इतिहास में आज इस स्थगन प्रस्ताव की चर्चा की समाप्ति के बाद जो इतिहास रचा है, यही संसदीय प्रजातंत्र का मूल भाव है।

सायं 5.46 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 20 फरवरी, 2006 (फाल्गुन 1, शक संवत् 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

सोमवार, दिनांक 20 फरवरी, 2006

(फाल्गुन 1, शक संवत् 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

◌◌◌◌◌◌ प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 21 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10 एवं 13 (कुल 10 प्रश्नों) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 10 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. ध्यानाकर्षण सूचना

1. सर्वश्री नोवेल कुमार वर्मा, डॉ. शक्राजीत नायक, धर्मजीत सिंह, सदस्य ने प्रदेश में नकली दवाओं का विक्रय होने की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित किया। डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने इस पर वक्तव्य दिया।

2. श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने राजनांदगांव शहर में मारपीट किये जाने से एक व्यक्ति की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राम विचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

3. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने पंडरिया, जि.कबीरधाम में कन्या हाई स्कूल भवन का आहाता निर्माण किये जाने,

(2) श्री लच्छूराम कश्यप, सदस्य ने दंतेवाड़ा वि.खंड के गीदम में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत अनियमितता,

(3) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने विकास खंड नवागढ़ में सरपंच द्वारा अनियमितता,

(4) डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य की रायपुर जिले के बिलाईगढ़ विकास खंड अंतर्गत एक शिक्षकीय शालाओं में शिक्षक व्यवस्था, तथा

(5) श्रीमती रमशीला साहू, सदस्य की तांदूला नहर लाइनिंग पश्चात पानी रोकने हेतु उपयोग में लाई गई मिट्टी हटाई जाने संबंधी, सूचनाएं पढ़ी।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने चांपा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य किए जाने एवं श्री महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य किए जाने संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की।

5. वक्तव्य

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने दिनांक 20.12.2005 को पूछे गए परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्रमांक 462) के उत्तर के भाग ख में संशोधन के संबंध में वक्तव्य दिया।

6. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों के चिकित्सीय परीक्षण हेतु विधान सभा भवन स्थित ऐलोपेथिक चिकित्सालय एवं समिति कक्ष क्रमांक 3 में दिनांक 20 फरवरी से 24 फरवरी, 2006 तक चिकित्सीय परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज 1.30 बजे इस शिविर का शुभारंभ किया जायेगा। शिविर में विभिन्न विशेषज्ञ/चिकित्सक, प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य उपस्थित रहेंगे।

उन्होंने माननीय सदस्यों से अपेक्षा की कि उक्त चिकित्सीय परीक्षण शिविर का सुविधानुसार लाभ प्राप्त करें।

7. राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के संबंध में श्री शिवप्रताप सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर निम्नलिखित सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए:-

डॉ. चेतन वर्मा, श्री महंत रामसुंदर दास, श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री महेन्द्र कर्मा, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री राजकमल सिंघानिया, श्री गणेश शंकर बाजपेयी, श्री रामदयाल उइके, डॉ. शक्राजीत नायक, श्री ओंकार शाह, श्री उदय मुदलियार, श्री धर्मजीत सिंह, श्री मोहम्मद अकबर, डॉ. रामचंद्र सिंहदेव, श्री गुलाब सिंह एवं कुमारी कामदा जोल्हे।

(चर्चा जारी)

○○○○○○ **अपराह्न 1.34 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 21 फरवरी, 2006 (फाल्गुन 2, शक संवत् 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।**

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

मंगलवार, दिनांक 21 फरवरी, 2006

(फाल्गुन 2, शक संवत् 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 24 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02, 03, 05, 06, 10, 11 एवं 12 (कुल 07 प्रश्नों) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 01 तारांकित एवं 16 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 10 पर चर्चा के दौरान श्री मोहम्मद अकबर के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

3. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने प्रश्नकाल में प्रश्नकर्ता सदस्यों की अनुपस्थिति पर व्यवस्था दी कि-

आज सभा में 12 प्रश्न अनुपूरक प्रश्न पूछने हेतु पुकारे गये जिसमें से 05 सदस्य अनुपस्थित रहे। प्रश्नों का उत्तर संकलित करने में राज्य के कोष से बहुत अधिक धनराशि खर्च होती है। प्रश्नकाल संसदीय प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण काल है जिसके माध्यम से शासन की जवाबदेही सुनिश्चित होती है। इतने महत्वपूर्ण काल में माननीय सदस्यों का प्रश्न पूछकर अनुपस्थित रहना माननीय सदस्यों के स्वयं के लिए विचारणीय है। मेरा सदस्यों से आग्रह है कि प्रश्नकाल में प्रश्न सूचीबद्ध होने के पश्चात् सदन में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें जिससे संसदीय प्रणाली भी सुदृढ़ होगी और व्यवस्था में जनता का विश्वास भी और सुदृढ़ होगा।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने ग्राम पंचायत राम्हेपुर (जे) वि.खंड लोरमी में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त न होने,

(2) मोहम्मद अकबर, सदस्य ने जिला कवर्धा, वि.खंड बोड़ला, ग्राम गजई डबरी में विद्यालय का संचालन न किए जाने, एवं

(3) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने महासमुंद जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग में बालश्रम पर प्रतिबंध लगाने एवं बच्चों के शोषण रोके जाने

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्रीमती रमशीला साहू, सदस्य ने गुंडरदेही विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत एवं श्री लच्छुराम कश्यप सदस्य ने चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य किए जाने संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की।

6. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री धर्मजीत सिंह,

(1.30 से 3.04 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री लच्छुराम कश्यप, डॉ. हरिदास भारद्वाज, चंदुलाल साहू, नंदकुमार पटेल, सुश्री रोजलिन बेकमेन, लालसाय खुंटे, सत्यनारायण शर्मा

(चर्चा जारी)

अपराह्न 5.32 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 22 फरवरी, 2006 (फाल्गुन 3, शक संवत् 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार, दिनांक 22 फरवरी, 2006

(फाल्गुन 3, शक संवत् 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

◌◌◌◌◌◌ प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 06 तक (कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 01 तारांकित एवं 18 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 05 पर चर्चा के दौरान शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध स्वरूप श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

प्रश्नकाल की समाप्ति के पश्चात् मान. श्री भूपेश बघेल, श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य द्वारा विधायक विश्राम गृह में नक्सलियों द्वारा सी.डी. एवं साहित्य वितरण पर शासन की ओर से वक्तव्य की मांग की गई तथा, शासन की ओर से वक्तव्य नहीं आने के विरोध स्वरूप श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने प्रदेश में बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु कालेज प्रबंधकों द्वारा फीस वसूली में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री मेघाराम साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री, ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री ओंकार शाह, सदस्य ने जिला महासमुंद, ग्राम टोंगो पानी, थाना बागबहरा की आदिवासी महिला की संदेहास्पद मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राम विचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने नगर पंचायत पंडरिया के प्रमुख मार्ग पर नाली निर्माण किए जाने,

(2) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मजदूर परिवार का हुक्का-पानी बंद किए जाने, तथा

(3) मोहम्मद अकबर, सदस्य ने जिला सरगुजा, अग्रसेन वार्ड, अंबिकापुर में एक व्यक्ति की हत्या किए जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री सियाराम कौशिक, सदस्य ने बिल्हा विधान सभा क्षेत्र, श्री लच्छुराम कश्यप, सदस्य ने चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने पंडरिया, जिला कबीरधाम तथा डॉ. चेतन व र्मा, सदस्य ने विकास खण्ड-बेमेतरा, के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य किए जाने संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की।

6. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

मान. श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री प्रीतम साहू

(1.06 बजे सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री नोवेल कुमार वर्मा

माननीय सभापति महोदय ने सदन की सहमति से मान. सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।

(1.46 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री गणेश शंकर बाजपेयी, त्रिलोचन पटेल, कवासी लखमा, देवजी भाई पटेल, डॉ. शक्राजीत नायक, कु. कामदा जोल्हे, देवलाल दुग्गा, अमरजीत भगत, उदय मुदलियार, रामसेवक पैकरा, रा मदयाल उइके, कमलभान सिंह, महंत रामसुंदर दास,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।

सर्वश्री दयालदास बघेल, श्रीमती रमशीला साहू, गुलाब सिंह, संजय ढीढी, सिद्धनाथ पैकरा, भूपेश बघेल।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

समस्त संशोधनों पर एक साथ मत लिया गया।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 7.36 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 23 फरवरी, 2006 (फाल्गुन 4, शक संवत् 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

क्रमांक-नौ

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

गुरुवार, दिनांक 23 फरवरी, 2006

(फाल्गुन 4, शक संवत् 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

◌◌◌◌◌◌ प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 24 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 13 एवं प्रश्न संख्या 15 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 16 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी, 2006 को सभा की बैठक समाप्त होने के उपरान्त माननीय मंत्रीगण एवं माननीय सदस्यों के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा राजीव लोचन कुम्भ आयोजन में जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सभा की बैठक समाप्त होने के उपरान्त माननीय मंत्रीगण एवं माननीय सदस्यगण डीलक्स बस से राजिम के लिए प्रस्थान करेंगे, राजिम पहुँचने के उपरान्त का विस्तृत कार्यक्रम पत्रक के द्वारा माननीय सदस्यों को परिवहित किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि कृपया पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करें।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने जिला महासमुंद, विकासखंड बागबहरा के कोटरीपानी में ग्रेनाइट का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री अमरजीत सिंह भगत, सदस्य ने जिला सरगुजा के ग्राम डाडागांव, पटवरी से मिलकर चौहदी रकबा आदि परिवर्तित किए जाने,

(2) श्रीमती रमशीला साहू, सदस्य ने जिला पंचायत दुर्ग द्वारा स्वीकृत कार्य ग्राम रींवा गहन (ब) में महिला सदन निर्माण यथावत रखे जाने,

(3) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने जशपुर जिले में 66 परीक्षा केन्द्रों को बंद किए जाने,

(4) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने जांजगीर स्थित विष्णु मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने, तथा

(5) डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने विकासखंड बसना एवं पिथौरा जिला महासमुंद में नलकूप हेतु स्थायी कनेक्शन दिए जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री दयाल दास बघेल, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी, 2006 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्र.	*विषय*	*समय*
1. (क्रमांक-11)	श्री धर्मजीत सिंह	45 मिनट
2. (क्रमांक-1, 6)	श्री रविन्द्र चौबे एवं श्री उदय मुदलियार	45 मिनट
3. (क्रमांक-12)	श्री धर्मजीत सिंह	1 घंटा

श्री दयाल दास बघेल, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2006

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2006 के पुरःस्थापन की अनुमति चाही।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2006 के पुरःस्थापन किया।

7. नियम 139 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में विद्युत संकट व्याप्त होने तथा विद्युत कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

8. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों के लिए विधायक विश्राम गृह स्थित सभा कक्ष में ध्यान एवं योग शिविर का आयोजन दिनांक 27 फरवरी से 10 मार्च, 2006 तक प्रातः 8.00 बजे से 9.00 बजे तक किया गया है।

उन्होंने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि निर्धारित समय में उपस्थित होकर ध्यान एवं योग शिविर का लाभ प्राप्त करें।

9. नियम 139 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमशः)

श्री विजय अग्रवाल,

(12.41 बजे उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, प्रीतम साहू, डॉ. शिवकुमार डहरिया, गुलाब सिंह,

(1.30 बजे से 3.01 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री देवजी भाई पटेल, उदय मुदलियार, डॉ. बालमुकुन्द देवांगन, ताम्रध्वज साहू,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री दयाल दास बघेल, चंद्रभान बारमते, सुश्री रोजलिन बेकमेन, अमरजीत भगत, सिद्धनाथ पैकरा, मोतीलाल देवांगन, इंदर चोपड़ा, सियाराम कौशिक।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

10. बहिष्कार

मुख्यमंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन का बहिष्कार किया गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से नियम 139 की चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।

11. समय का निर्धारण

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2006 पर चर्चा के लिए 30 मिनट का समय निर्धारित किया।

अपराह्न 5.35 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी, 2006 (फाल्गुन 5, शक संवत् 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी, 2006

(फाल्गुन 5, शक संवत् 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

◌◌◌◌◌◌ प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 03, 05 से 10 एवं प्रश्न संख्या 12, 14, 15 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत 10 तारांकित एवं 29 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण 2005-2006 पटल पर रखा।

3. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों के लिए प्रश्न एवं लोक महत्व के विषय पर शनिवार, दिनांक 25 फरवरी, 2006 को दोपहर 1.00 बजे से विधान सभा परिसर स्थित समिति कक्ष क्र-2 में प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का विस्तृत विवरण पत्रक के द्वारा माननीय सदस्यों को परिवहित किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि कृपया इस प्रबोधन कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित रहें।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन की अनुमित से सदस्यों की ओर से प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को

देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138(3) को शिथिल करके आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किए जाने की अनुज्ञा प्रदान की।

(1) सर्वश्री मोहम्मद अकबर एवं नंदकुमार पटेल, सदस्य ने जिला दंतेवाड़ा में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अंतर्गत खाद्यान्न वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय चन्द्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री त्रिलोचन पटेल, देवजी पटेल, सदस्य ने प्रदेश में सहकारी विपणन संघ द्वारा गोदाम निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामविचार नेताम, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य ने जिला रायपुर के विधान सभा क्षेत्र कसडोल में ग्रामीणों द्वारा पलायन किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) सर्वश्री नंदकुमार पटेल, नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने जिला रायगढ़ में पी.ए.सी.एल. लिमिटेड द्वारा ग्रामीणों से धोखाधड़ी किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. बहिर्गमन

श्री नोवेल कुमार वर्मा, भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने विकासखंड पंडरिया के ग्रामों में मिट्टी तेल की आपूर्ति किए जाने,

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने स्वामी आत्मानंद जी के जन्म स्थली गांव खरबंदा का समन्वित विकास किए जाने, तथा

(3) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने चांपा शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी हथकरघा संस्थान की स्थापना किए जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएँ पढ़ी।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2006

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाए तथा विधेयक के संबंध में संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ. बालमुकुन्द देवांगन, डॉ. हरिदास भारद्वाज

विधेयक पारण तक सदन की सहमति से सदन के समय में वृद्धि की गई।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तर दायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(1.35 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

8. अशासकीय संकल्प

(1) छत्तीसगढ़ राज्य में पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री देवजी पटेल, डॉ. शिवकुमार डहरिया, संजीव शाह, मोतीलाल देवांगन, लाल महेन्द्र सिंह टेकाम, सुभाऊ कश्यप।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प पर मत लिया गया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त मुख्यालयों में कृषि अनुसंधान केन्द्र खोले जाना

श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री नोवेल कुमार वर्मा, देवजी पटेल, गणेश शंकर बाजपेयी, सुभाऊ कश्यप, रामदयाल उइके, इंदर चोपड़ा।

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।

संकल्प पर मत विभाजन हुआ।

संकल्प के पक्ष में 17 मत मिले।

संकल्प के विपक्ष में 28 मत मिले।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

(3) नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री देवजी पटेल, डॉ. हरिदास भारद्वाज, संजीव शाह, सियाराम कौशिक।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से अशासकीय संकल्प पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के स मय में वृद्धि की घोषणा की।

सर्वश्री विजयनाथ सिंह, रामदयालय उइके, इंदर चोपड़ा।

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प पर मत लिया गया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.56 बजे विधान सभा की कार्यवाही शनिवार, दिनांक 25 फरवरी, 2006 (फाल्गुन 6, शक संवत् 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

शनिवार, दिनांक 25 फरवरी, 2006

(फाल्गुन 6, शक संवत् 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक का उपस्थापन

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक का उपस्थापन किया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 28 फरवरी एवं 1 मार्च, 2006 की तिथियाँ आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए नियत की गई।

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई कि आय-व्ययक में सम्मिलित मांगों पर प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचना दिनांक 27 फरवरी को अपराह्न 4.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

अपराह्न 12.01 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 27 फरवरी, 2006 (फाल्गुन 8, शक संवत् 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

सोमवार, दिनांक 27 फरवरी, 2006

(फाल्गुन 8, शक संवत् 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 24 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02, 04 से 16 एवं प्रश्न संख्या 22 (कुल 16) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 16 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 11 पर चर्चा के दौरान शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 86/एल-8/4/04/ब-4/4 दिनांक 21 फरवरी, 2006 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध नियम 2006 पटल पर रखा।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने प्रदेश में सीमेंट की कीमतें बढ़ने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने जिला कोरबा में तेंदूपत्ता गोदाम में गोदाम प्रभारी तथा ठेकेदार द्वारा आगजनी किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री ताम्रध्वज साहू, सदस्य ने भीषण बाढ़ से धमधा विकासखण्ड क्षेत्रान्तर्गत ग्रामों में तबाही,

(2) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने चांपा के शासकीय स्कूलों में शौचालयों का निर्माण किए जाने,

(3) डॉ. चेतन वर्मा, सदस्य ने पैरामेडिकल सर्टिफिकेट कोर्स के छात्रों का चिकित्सीय परिषद द्वारा पंजीयन तथा,

(4) श्री चंदूलाल साहू, सदस्य ने नवापारा राजिम में कागज एवं पुट्ठा बनाने से पर्यावरण प्रदूषित होने संबंधी शून्यकाल की सूचनाएँ पढ़ी।

6. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों के लिए दिनांक 27 फरवरी से 10 मार्च, 2006 तक प्रतिदिन प्रातः 8.00 बजे से 9.00 बजे तक विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, शैलेन्द्र नगर में ध्यान एवं योग शिविर का आयोजन किया है।

उन्होंने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि वे ध्यान एवं योग शिविर का अधिकतम लाभ प्राप्त करें।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

डॉ. चेतन वर्मा, सदस्य ने-

(1) विकासखण्ड- साजा, जिला-दुर्ग अ ंतर्गत ग्राम-किरकी से ग्राम डूंडा मार्ग को डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग निर्माण करने,

(2) नगर पालिका बेमेतरा अंतर्गत ग्राम कोबिया में हाई स्कूल खोलने, तथा

(3) विकासखण्ड बेरला के ग्राम पांहदा में कन्या पूर्व माध्यमिक शाला खोलने

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत कीं।

8. वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(12.36 बजे सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री विजय अग्रवाल,

(जारी)

(1.30 से 3.25 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री नंदकुमार पटेल, चंदूलाल साहू,

(सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री ताम्रध्वज साहू, सिद्धनाथ पैकरा, उदय मुदलियार।

सांय 5.31 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2006 (फाल्गुन 9, शक संवत् 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2006

(फाल्गुन 9, शक संवत् 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02,प्रश्न संख्या 04 से 07 एवं प्रश्न संख्या 09 से 11ः (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 02 तारांकित एवं 20 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 09 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व मे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री भूपेश बघेल, उदय मुदलियार, डॉ0शक्राजीत नायक, सदस्य ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों-अधिकारियों के आंदोलन से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।ः

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(12.24 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित होकर 12.35 बजे पुनः समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

4. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(1) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने प्रदेश में प्राथमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत चूल्हे खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री मेघाराम साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री, ने इस पर वक्तव्य दिया।

शासन की ओर से ध्यानाकर्षण का जवाब स्पष्ट एवं तथ्यात्मक नहीं आने की ओर श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने आसंदी का ध्यान आकर्षित किया। इस पर मान. अध्यक्ष महोदय ने इस ध्यानाकर्षण सूचना को स्थगित करते हुए निम्नानुसार व्यवस्था दी-

5. अध्यक्षीय व्यवस्था

ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर शासन की ओर से पूर्ण तथ्यात्मक उत्तर आना चाहिए ताकि सभा सूचना पर शासन के तथ्यों से अवगत हो सके। विभागीय उत्तर में, सूचना में उल्लेखित तथ्यों पर जानकारी नहीं दी गयी है। यह स्थिति अच्छी नहीं है। साथ ही शासन आज ही विधान सभा सचिवालय को तथ्यात्मक उत्तर उपलब्ध कराए।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने अचानकमार अभ्यारण क्षेत्र में रोजगार मूलक कार्य प्रारंभ किए जाने,

(2) श्री अमरजीत भगत, सदस्य ने जिला कोरबा बाल्को के केप्टिव पावर प्लांट को बिना लाइसेंस के चलाए जाने, तथा

(3) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र चौकी में मिटटी तेल वितरण के कार्य में भष्ट्राचार

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएँ पढ़ी।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

डॉ. चेतन वर्मा, श्री चंद्रभान बारमते, श्री लालमहेन्द्र सिंह टेकाम, सदस्य ने अपने, विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों संबंधी याचिकाएँ प्रस्तुत कीं।

8. वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(12.46 बजे सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए।)

(1.02 बजे अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री देवजी पटेल,

(1.32 से 3.01 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

9. वक्तव्य

थाना एर्राबोर में नक्सली घटना

श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने थाना एर्राबोर में दिनांक 28 फरवरी, 2006 को घटित नक्सली घटना पर वक्तव्य दिया।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

श्री रविन्द्र चौबे एवं श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने दिवंगतों के सम्मान में श्रद्धांजलि अर्पित कर सदन की कार्यवाही स्थगित करने हेतु अनुरोध किया।

सदन द्वारा दो मिनट खड़े रहकर नक्सली घटना में दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

अपराह्न 3.13 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 1 फरवरी, 2006 (फाल्गुन 10, शक संवत् 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार, दिनांक 1 मार्च, 2006

(फाल्गुन 10, शक संवत् 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, से 12 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 07 तारांकित एवं 27 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. स्थगन

जिला दंतेवाड़ा में नक्सलियों द्वारा लैंडमाइन्स ब्लास्ट से सलवा जुडूम में भाग लेने वाले आदिवासियों की मौत

माननीय अध्यक्ष ने जिला दंतेवाड़ा में नक्सलियों द्वारा लैंड माइन्स ब्लास्ट से सलवा जुडूम में भाग लेने वाले आदिवासियों की मौत होने संबंधी घटना पर माननीय सदस्य सर्वश्री भूपेश बघेल, रविन्द्र चौबे, नंदकुमार पटेल, सत्यनारायण शर्मा, धर्मजीत सिंह, डॉ. रामचंद्र सिंहदेव, मोहम्मद अकबर, रामपुकार सिंह, गणेश शंकर बाजपेयी, बोधराम कंवर, डॉ. हरिदास भारद्वाज, उदय मुदलियार, योगेश्वर राज सिंह, डॉ. चेतन वर्मा, डॉ. शक्राजीत नायक, ओंकार शाह, सियाराम कौशिक, राजकमल सिंघानिया, महंत रामसुंदर दास, रामदयाल उइके, चैतराम साहू, गुलाब सिंह, मोतीलाल देवांगन, चन्द्रभान बारमते, अमरजीत भगत, डॉ. शिवकुमार डहरिया एवं नोवेल कुमार वर्मा की प्राप्त सूचनाओं में से श्री भूपेश बघेल, सदस्य की सूचना पढ़ी।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता की चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

सर्वश्री नंदकुमार पटेल, रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, उदय मुदलियार, अमरजीत भगत, रामदयाल उइके, ओंकार शाह, राजेन्द्र पामभोई, गणेश शंकर बाजपेयी, सियाराम कौशिक, मोहम्मद अकबर,

3. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से घोषणा की कि आज भोजन अवकाश नहीं होगा। सभा की कार्यवाही जारी रहेगी। माननीय सदस्यों के लिए दोपहर भोजन की व्यवस्था माननीय वित्त मंत्री श्री अमर अग्रवाल द्वारा लॉबी स्थित कक्ष में की गई है। माननीय सदस्य सुविधानुसार भोजन ग्रहण कर सकेंगे। पत्रकारों के लिए पत्रकार कक्ष के पास भोजन की व्यवस्था की गई है।

4. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

सर्वश्री बोधराम कंवर, डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, मोतीलाल देवांगन, डॉ. शक्राजीत नायक, डॉ. हरिदास भारद्वाज, नोवेल कुमार वर्मा, गुलाब सिंह, डॉ. शिवकुमार डहरिया, रामपुकार सिंह, भूपेश बघेल।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का उत्तर सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

5. बहिर्गमन

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन किया।

(2.04 बजे उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने प्रदेश में प्राथमिक शालाओं मे मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत चूल्हे खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री मेघाराम साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण पर चर्चा के दौरान श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने जिला रायपुर के किसानों को मुआवजा नहीं दिए जाने संबंधी शून्यकाल की सूचनाएँ पढ़ी।

9. वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री देवजी पटेल, कमलभान सिंह, लच्छुराम कश्यप, श्रीमती रमशीला साहू, त्रिलोचन पटेल, सुश्री रोजलिन बेकमेन, नोवेल कुमार वर्मा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 5.13 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 2 मार्च, 2006 (फाल्गुन 11, शक संवत् 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

गुरूवार, दिनांक 2 मार्च, 2006

(फाल्गुन 11, शक संवत् 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 10, 12, एवं 04 (कुल 03) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 07 तारांकित एवं 19 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 12 पर चर्चा के दौरान शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य, भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।

प्रश्नों का प्रथम चक्र पूरा होने के पश्चात् समय शेष रहने पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पुनः अनुपस्थित सदस्यों के नाम पुकारे गए, माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्य सूची में अंकित विषय को लेने की घोषणा की।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने जिला रायगढ़ में रेशम परियोजना की भूमि उद्योगपतियों को प्रदान किये जाने की ओर राज्य मंत्री, ग्रामोद्योग का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री, ग्रामोद्योग ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने प्रदेश के जंगलों से खैर वृक्षों की अवैध कटाई किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

श्री चंदूलाल साहू, सदस्य ने राजिम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड फिंगेश्वर में अवैध उत्खनन किए जाने

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री दयाल दास बघेल, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 03 मार्च, 2006 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशाकीय संकल्प क्र.		सदस्य का नाम	समय
1.	(क्रमांक-32)	श्री नंद कुमार पटेल	45 मिनट
2.	(क्रमांक-15)	श्री धर्मजीत सिंह	1 घंटा
3.	(क्रमांक-8, 21)	श्री रविन्द्र चौबे एवं श्री उदय मुदलियार	45 मिनट

श्री दयाल दास बघेल, सभापति ने प्रस्ताव दिया कि सदन गैर सरकारी सदस्यो के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तृतीय प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र तथा श्री चंदूलाल साहू ने राजिम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास किए जाने संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की।

7. वक्तव्य

श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव ने दिनांक 15.12.2005 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्रमांक 110) के उत्तर के भाग क एवं ग में संशोधन के संबंध में वक्तव्य दिया।

8. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज की दैनिक कार्यसूची के पदक्रम 6 से वित्तीय कार्यों के अंतर्गत अनुदान मांगों पर चर्चा मांग संख्यावार आरंभ किया जाना सम्मिलित है। तद्नुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री से संबंधित मांगों पर चर्चा होनी है। वित्तीय कार्य सभा का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह सभा कार्यपालिका को वर्ष के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं गतिविधियों को संचालित करने के लिए समीक्षा एवं समालोचना करते हुए धनराशि उपलब्ध कराती है। मांगों पर चर्चा के दौरान सभा व्यय की विवेचना करती है और सदस्य अपने विचारों से कार्यपालिका को योजनाओं के क्रियान्वयन एवं नई योजनाओं के संबंध में मार्गदर्शन देते हैं और यह सभा कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण सुनिश्चित करती है।

आज सभा में प्रतिपक्ष के सदस्य उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने मुझे यह सूचना दी है कि वे नक्सली वारदात में सलवा जुडूम में सम्मिलित आदिवासियों की हत्या के घटना स्थल पर जा रहे हैं। मेरे मत में ऐसी स्थिति में यदि हम अनुदान मांगों पर चर्चा आरंभ करते हैं तो यह सभा प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के विचारों और सुझावों से वंचित रह जाएगी। संसदीय प्रजातंत्र में, मैं यह स्थिति उचित नहीं समझता, अतः मेरे मत में ज्यादा उचित यह होगा कि आज अनुदान मांगों पर चर्चा आरंभ न करते हुए सभा की बैठक स्थगित की जाए। परन्तु यह घटना के परिप्रेक्ष्य में विचार करने के उपरांत मेरा मत है। ऐसी न तो पूर्व परम्परा है और न ही यह परम्परा होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपेक्षा की कि अनुदान मांगों पर चर्चा कल से प्रारंभ की जाए, ताकि प्रतिपक्ष के सदस्य भी इसमें अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें और आय-व्ययक पर

गंभीरतापूर्वक समग्र रूप से चर्चा उपरांत, यह सभा कार्यपालिका को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए धनराशि उपलब्ध कराए।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने माननीय अध्यक्ष महोदय के विचारों से सहमति व्यक्त की।

अपराह्न 11.58 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च, 2006 (फाल्गुन 12, शक संवत् 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च, 2006

(फाल्गुन 12, शक संवत् 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 05, 07, 09, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 एवं 25 (कुल 16) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 09 तारांकित एवं 18 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 21 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।

3. वक्तव्य

प्रश्नकाल समाप्त होते ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने बस्तर के ग्राम एर्राबोर में नक्सली हिंसा में आदिवासियों की मृत्यु पश्चात् विभिन्न व्यवस्थाओं से संबंधित बिन्दुओं पर उनके द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य करने एवं शासन से वक्तव्य देने की मांग की। डॉ. रमनसिंह, मुख्यमंत्री ने शासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधि मंत्री ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-डी-398/21-ब/छ.ग./06,

दिनांक 14.2.2006 पटल पर रखी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा निरंतर व्यवधान एवं नारेबाजी की गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने तत्संबंधी प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य करने की सूचना देते हुए माननीय सदस्यों से कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपेक्षा की।

निरंतर व्यवधान एवं नारेबाजी के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा 12.27 बजे 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर 12.44 बजे कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

5. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से घोषणा की कि- आज की कार्यसूची में 25 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही से मुद्रित किया जावेगा।

(1) श्री लच्छुराम कश्यप, सदस्य (अनुपस्थित)

(2) डॉ. शक्राजीत नायक, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य (ध्यानाकर्षण सूचना नहीं पढ़ी)

(3) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने भोरमदेव शक्कर कारखाना में मशीनरी स्पेयर पार्टस् खरीदी अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(4) श्री गुलाब सिंह, (ध्यानाकर्षण सूचना नहीं पढ़ी)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि अब वे कार्यसूची के पद 3 के उप पद (5) से (25) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारेंगे, उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे :-

(5) श्री नोवेल कुमार वर्मा, श्री रविन्द्र चौबे, श्री उदय मुदलियार

(6) श्री भूपेश बघेल, श्री मोतीलाल देवांगन

(7) डॉ. शक्राजीत नायक

(8) श्री नंद कुमार पटेल,

(9) श्री नोवेल कुमार वर्मा,

(10) श्री मोतीलाल देवांगन,

(11) श्री नंदकुमार पटेल, श्री भरत साय,

(12) श्री नोवेल कुमार वर्मा, श्री मोतीलाल देवांगन

(13) श्री मोतीलाल देवांगन,

(14) श्री भूपेश बघेल, डॉ. चेतन वर्मा, श्री मोतीलाल देवांगन

(15) श्री नोवेल कुमार वर्मा

(16) श्री नोवेल कुमार वर्मा

(17) श्री नोवेल कुमार वर्मा

(18) श्री नोवेल कुमार वर्मा, श्री मोतीलाल देवांगन

(19) श्री नोवेल कुमार वर्मा, श्री मोतीलाल देवांगन

(20) डॉ. शक्राजीत नायक, श्री धर्मजीत सिंह

(21) श्री नंदकुमार पटेल, डॉ. शक्राजीत नायक, श्री मोतीलाल देवांगन

(22) श्री नंद कुमार पटेल,

(23) श्री रविन्द्र चौबे,

(24) श्री नोवेल कुमार वर्मा

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री देवजी पटेल, सदस्य ने धरसींवा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों संबंधी याचिकायें प्रस्तुत की।

7. वक्तव्य

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने दिनांक 17.02.2006 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्रमांक 538) के उत्तर के भाग क में संशोधन के संबंध में वक्तव्य दिया

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई।)

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही चलाने में सहयोग का अनुरोध एवं अपेक्षा की गई।

8. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित मांग संख्या-30, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-80, पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या-59, राज्य

विधान मंडल से संबंधित मांग संख्या-28, उच्च शिक्षा से संबंधित मांग संख्या-46, तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग से संबंधित मांग संख्या-47 प्रस्तुत की।

9. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

प्रतिपक्ष के 23 सदस्यों ने गर्भगृह में प्रवेश किया एवं नारेबाजी की।

मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

10. निलंबन की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 250(1) के तहत निम्नांकित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं। तद्नुसार वे सभा से बाहर चले जायें-

सर्वश्री भूपेश बघेल, डॉ. रामचंद्र सिंहदेव, डॉ. शक्राजीत नायक, सत्यनारायण शर्मा, रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, गुलाब सिंह, मोहम्मद अकबर, नंदकुमार पटेल, रामदयाल उईके, राजेन्द्र पामभोई, सियाराम कौशिक, महंत रामसुंदर दास, गणेश शंकर बाजपेयी, डॉ. चेतन वर्मा, ओंकार शाह, धनेन्द्र साहू, ताम्रध्वज साहू, डॉ. हरिदास भारद्वाज, बोधराम कंवर, डॉ. शिवकुमार डहरिया, मोतीलाल देवांगन, चंद्रभान बारमते।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निलंबन अवधि पश्चात् करने की घोषणा की गई।

(1.16 बजे मान. उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

मांगों के प्रस्तावों पर प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री देवजी पटेल,ं

11. सदन को सूचना

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज भोजन अवकाश नहीं होगा। सभा की कार्यवाही जारी रहेगी। माननीय सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था संसदीय कार्य मंत्री की ओर से लॉबी स्थित कक्ष में की गई है। माननीय सदस्य सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें। पत्रकारों के लिए भोजन की व्यवस्था पत्रकार कक्ष के समीप की गई है।

सर्वश्री संजय ढीढी, प्रीतम साहू, सुश्री रोजलिन बेकमेन

(सभापति महोदय (श्री अघनिसंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

श्री राजशरण भगत,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री नोवेल कुमार वर्मा,

(जारी)

12. निलंबन अवधि का निर्धारण

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभा के गर्भगृह में प्रवेश के कारण छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 250(1) के अंतर्गत निम्नांकित स्वमेव निलंबित हुए सदस्यों की निलंबन अवधि का निर्धारण करते हुए घोषणा की कि-

आज शुक्रवार है और नियमावली के अंतर्गत अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य के लिए निर्धारित है, अशासकीय सदस्यों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। आज की कार्यसूची में पदक्रम 7 में अशासकीय संकल्प के अंतर्गत मान. सदस्य श्री नंदकुमार पटेल, श्री धर्मजीत सिंह, श्री रविन्द्र चौबे एवं श्री उदय मुदलियार के द्वारा संकल्प प्रस्तुत किया जाना सम्मिलित किया गया है। साथ ही अन्य मान. सदस्य भी अशासकीय कार्य में हिस्सा लेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने माननीय सदस्यों की निलंबन अवधि 3 बजे तक निर्धारित की है। माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लें और निर्धारित अशासकीय कार्य सम्पादित करें।

13. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री नोवेल कुमार वर्मा,

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. वक्तव्य

राज्य में ताप विद्युत गृह स्थापना हेतु ए.ई.एस. (इंडिया) से किए गए एम.ओ.यू. के संबंध में डॉ. रमनसिंह, मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया।

अपराह्न 3.41 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 6 मार्च, 2006 (फाल्गुन 15, शक संवत् 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

सोमवार, दिनांक 6 मार्च, 2006

(फाल्गुन 15, शक संवत् 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 20 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07, 09, 10, 12, 13 एवं 14 (कुल 12) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 03 हेतु मोहम्मद अकबर एवं प्रश्न संख्या 05 हेतु श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य अधिकृत थे । प्रश्न संख्या 08 एवं 11 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 01 तारांकित एवं 16 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 07 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री त्रिलोचन पटेल एवं देवजी पटेल, सदस्य ने रायपुर विकास प्राधिकरण तथा गृह निर्माण मंडल को अंतरित भूमि पुनः मूल पक्षकारों को वापस किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री अमरजीत भगत, सदस्य (अनुपस्थित)

(12.04 बजे उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने शिवरीनारायण स्थित स्वास्थ्य केन्द्र की स्थिति जर्जर होने तथा नव निर्माण कराने,

(2) श्री ताम्रध्वज साहू, सदस्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं बनाये जाने, तथा

(3) श्री सियाराम कौशिक, सदस्य ने बिल्हा खंड शिक्षा कार्यालय को मुख्यालय बिल्हा से संचालित किए जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

5. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन से संबंधित मांग संख्या-8, राजस्व विभाग से संबंधित मांग संख्या-9, वन से संबंधित मांग संख्या-10, पुनर्वास से संबंधित मांग संख्या-35, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत से संबंधित मांग संख्या-58, धार्मिक न्यास और धर्मस्व से संबंधित मांग संख्या-51, संस्कृति विभाग से संबंधित मांग संख्या-26, पर्यटन से संबंधित मांग संख्या-37, न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन से संबंधित मांग संख्या-29, खेल और युवा कल्याण से संबंधित मांग संख्या-43 प्रस्तुत की।

मांगों पर उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगो तथा कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, अघन सिंह ठाकुर, धर्मजीत सिंह

6. भोजन अवकाश स्थगित

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सभा की सहमति से भोजन अवकाश स्थगित कर चर्चा निरंतर जारी रखी एवं माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में तथा पत्रकारों के लिए पत्रकार कक्ष के समीप दोपहर भोज का आयोजन वन मंत्री जी द्वारा किये जाने की जानकारी दी।

श्री धर्मजीत सिंह, (जारी)

(1.31 बजे सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

श्री देवजी पटेल, श्री सत्यनारायण शर्मा,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री कमलभान सिंह, डॉ. हरिदास भारद्वाज

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री प्रीतम सिंह दीवान, डॉ. शक्राजीत नायक

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्रीमती रमशीला साहू

7. सदन को सूचना

माननीय सभापति महोदय ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों को वन मंत्री जी के द्वारा वर्ष 2006 की डायरी, वन उत्पादों का पैकेट एवं चरण पादुका का वितरण किया जा रहा है, माननीय सदस्यगण सामग्री प्राप्त करने का कष्ट करें।

सर्वश्री नोवेल कुमार वर्मा, उदय मुदलियार, ओंकार शाह, विनोद खांडेकर।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से अनुदान मांगों पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने मंगलवार, दिनांक 7 मार्च, 2006 को अपराह्न 1.30 बजे से माननीय सदस्यों के लिए विधान सभा परिसर स्थित प्रेक्षागृह में श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान महाविद्यालय, नगपुरा (दुर्ग) परिवार द्वारा योग आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सेन्ट्रल लॉन में प्राकृतिक आहार का आयोजन किये जाने की जानकारी दी।

सायं 6.14 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 7 मार्च, 2006 (फाल्गुन 16, शक संवत् 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

मंगलवार, दिनांक 7ः मार्च, 2006

(फाल्गुन 16, शक संवत् 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 एवं 02 तथा प्रश्न संख्या 04 से 11 तक (कुल 11) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 03 (सुश्री कामदा जोल्हे) अनुपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 15 तारांकित एवं 27 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री देवजी पटेल, त्रिलोचन पटेल, भूपेश बघेल, सदस्य ने जिला कांकेर के बुधियार मारी में रिजर्व फॉरेस्ट में बाक्साइट का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

(2) डॉ. शक्राजीत नायक, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने प्रदेश में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन न किये जाने की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने इस पर वक्तव्य दिया।

3. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने विकासखंड पंडरिया के ग्रामों में विद्युत आपूर्ति किए जाने,

(2) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने नैला-जांजगीर नगर में जल प्रदाय योजना पूर्ण किए जाने,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

(3) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने रायपुर नगर निगम द्वारा गर्मी में सुव्यवस्थित पेयजल व्यवस्था किए जाने,

(4) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने जिला कोरबा में निरंतर लूट की वारदातों से आम जनों में आतंक होने, तथा

(5) श्री लालसाय खूंटे, सदस्य ने ग्राम पंचायत बघेरा, विकासखण्ड बेरला में ग्रामीण रोजगार योजना कार्य में अनियमितता किए जाने की

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढी।

4. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने पुलिस से संबंधित मांग संख्या-3, गृह विभाग से संबंधित मांग संख्या-4, जेल विभाग से संबंधित मांग संख्या-5, और सहकारिता विभाग से संबंधित मांग संख्या-17, प्रस्तुत की।

मांगों पर उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों तथा कटौती के प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई। श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की। चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री अघन सिंह ठाकुर,◌

5. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - भोजन अवकाश में दोपहर 1.30 बजे से योग आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पश्चात् प्राकृतिक भोज का आयोजन किया गया है जिसमें समस्त माननीय सदस्य एवं पत्रकार गण आमंत्रित हैं।

(1.30 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह, विजय अग्रवाल◌◌◌ (जारी)

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

श्री विजय अग्रवाल,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, विजयनाथ सिंह।

सायं 5.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 8 मार्च, 2006 (फाल्गुन 17, शक संवत् 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार, दिनांक 8ः मार्च, 2006

(फाल्गुन 17, शक संवत् 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. बधाई

माननीय सदस्यों द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय को उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना की गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 10 (कुल 10) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 08 तारांकित एवं 26 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने आज की प्रश्नोत्तर सूची के तारांकित प्रश्न 03 (क्रमांक 1876) के उत्तर एवं अनुपूरक प्रश्नों के दौरान आई विरोधाभासी जानकारी एवं विसंगतियों को विचार में लेकर सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत प्राप्त राशि, विभिन्न जिलों में एन.जी.ओ. के चयन का मापदण्ड, राशि के आवंटन का आधार, राशि का उपयोग तथा सम्बद्ध विषयों की जांच हेतु प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सौंप दिया है।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री लच्छुराम कश्यप, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र चित्रकोट के ग्रामों की कृषि भूमि उद्योगों हेतु अधिग्रहित किये जाने की ओर, राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग ने इस पर वक्तव्य दिया।

(12.09 बजे उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

(2) डॉ. शक्राजीत नायक, श्री मोहम्मद अकबर, श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने मेक्रोमेनेज मेंट योजना एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत बीज तथा अन्य पौधों की खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पूनम चंद्राकर, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण क्रमांक 02 की चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने बिलासपुर जिले के करीब 800 प्रायमरी स्कूलों में शासन के आदेश के पश्चात् भी किचन शेड न बनाये जाने,

(2) श्री लच्छुराम कश्यप, सदस्य ने विकासखण्ड लोहण्डीगुडा के अंतर्गत राशन कार्ड न होने के कारण खाद्यान्न प्राप्त करने में असुविधा होने,

(3) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने प्रदेश के औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षकों/ अनुदेशकों को शिक्षा गारंटी केन्द्र में गुरूजी के पद पर पदस्थ किये जाने,

(4) श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने जिला राजनांदगांव, अंबागढ़ चौकी, मोंगरा बैराज अंतर्गत डुबान क्षेत्र की भूमि का मुआवजा सही निर्धारित किये जाने, तथा

(5) मोहम्मद अकबर, सदस्य ने जिला कबीर धाम, विकासखण्ड बेडला, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत कांपा-सरोधा मार्ग के कार्य संपादन करने वाले मजदूरों को भुगतान न किये जाने

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढी।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री देवजी पटेल, सदस्य ने धरसींवा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत, श्री लालमहेन्द्र सिंह टेका म, सदस्य ने डौंडीलोहारा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत एवं श्री चैतराम साहू, सदस्य ने भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत, विभिन्न विकास कार्यों संबंधी याचिकायें प्रस्तुत की।

8. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री विजयनाथ सिंह (पूर्व जारी) श्री नोवेल कुमार वर्मा,

9. भोजन अवकाश स्थगित

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सभा की सहमति से भोजन अवकाश स्थगित कर चर्चा निरंतर जारी रखी एवं माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में तथा पत्रकारों के लिये पत्रकार कक्ष के समीप दोपहर भोज का आयोजन कृषि मंत्री जी द्वारा किये जाने की जानकारी दी।

10. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री देवव्रत सिंह,

(1.43 बजे सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

श्री इंदर चोपड़ा, श्री उदय मुदलियार

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री विनोद खाण्डेकर, ओंकार शाह, सुश्री रोजलिन बेकमेन, ड़ॉ. चेतन वर्मा, कमलभान सिंह

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री लाल साय खूंटे।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव पर मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने कृषि विभाग से संबंधित मांग संख्या-13, पशुपालन विभाग से संबंधित मांग संख्या-14, मछली पालन विभाग से संबंधित मांग संख्या-16, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित मांग संख्या-54 तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित मांग संख्या-39 प्रस्तुत की।

मांगों पर उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों तथा कटौती के प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई। डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

डॉ. शक्राजीत नायक (जारी)

माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक सदन की सहमति से सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की गई।

सायं 5.32 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 9 मार्च, 2006 (फाल्गुन 18, शक संवत् 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

गुरुवार, दिनांक 9 मार्च, 2006

(फाल्गुन 18, शक संवत् 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02 तथा प्रश्न संख्या 04 से 11 तथा प्रश्न संख्या 13 (कुल 11) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 03 (श्री बलराम सिंह) एवं प्रश्न संख्या 12 (श्री ओंकार शाह) अनुपस्थित रहे।

प्रश्न संख्या 04 की चर्चा के दौरान समाधान कारक जानकारी प्राप्त न होने के कारण इस प्रश्न को माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्थगित कर अगली तिथि में रखे जाने की घोषणा की।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 02 तारांकित एवं 27 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

प्रश्न काल की समाप्ति पश्चात् प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सरकार द्वारा किए गए औद्योगिक एम.ओ.यू. सदन में सार्वजनिक करने तथा इस विषय पर उनके द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव लिये जाने का अनुरोध किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यक्त किया कि प्रस्तुत विषय स्थगन का विषय नहीं है इसलिए उन्होंने इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं किया है।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय ने 12.16 बजे 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की।

12.33 बजे सदन की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

2. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने जिला राजनांदगांव के बाघ नदी वन परिक्षेत्र में वृक्षों की अवैध कटाई किये जाने की ओर, वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

(2) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने तहसील सांरगढ़ अंतर्गत हाईग्रेड लाइम स्टोन की खदान लीज पर दिये जाने में अनियमितता किये जाने की ओर, मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

3. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा:-

(1) श्री अमरजीत भगत

(2) श्री उदय मुदलियार

(3) श्री चन्दूलाल साहू

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री दयाल दास बघेल, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2006 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये उनके समक्ष अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्र.	सदस्य का नाम	समय
1. (क्रमांक - 40)	श्री भूपेश बघेल	30 मिनट
2. (क्रमांक - 7)	श्री देवलाल दुग्गा	1 घंटा
3. (क्रमांक - 29)	श्री नंद कुमार पटेल	1 घंटा

श्री दयाल दास बघेल, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से सहमत हैं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में दर्ज श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य एवं डॉ. बालमुकुन्द देवांगन, सदस्य की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी।

6. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

कृषि मंत्री जी की मांगों पर पुर्नग्रहित चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

डॉ. बालमुकुन्द देवांगन, श्री रविन्द्र चौबे,

7. भोजन अवकाश स्थगित

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सभा की सहमति से भोजन अवकाश स्थगित कर चर्चा निरंतर जारी रखी एवं माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में तथा पत्रकारों के लिये पत्रकार कक्ष के समीप दोपहर भोज का आयोजन पर्यावरण मंत्री जी द्वारा किये जाने की जानकारी दी।

8. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री रविन्द्र चौबे (जारी), श्री अघन सिंह ठाकुर, श्री उदय मुदलियार,

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

श्री देवजी पटेल,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री सत्यनारायण शर्मा,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री विजय अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, संजय ढीढी, ओंकार शाह, श्रीमती रमशीला साहू, लालसाय खुंटे, देवव्रत सिंह।

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

मांगों के पारण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की गई।

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री द्वारा अपने उत्तर में आरोपात्मक कथन कहने पर श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि आरोप लगाने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, मान. मंत्री द्वारा बिना आसंदी की अनुमति के आरोप लगाना उचित नहीं है। उन्होंने इस संबंध में आसंदी से व्यवस्था देने का अनुरोध किया।

9. बहिर्गमन

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री द्वारा आरोपात्मक कथन के विरोध स्वरूप मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

10. व्यवस्था

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि आरोप लगाने की एक प्रक्रिया है उसी के अंतर्गत आरोप लगाया जाना चाहिए। माननीय सदस्यगण कृपया यह ध्यान रखें। कार्यवाही में से तत्संबंधी अंश विलोपित किए गए।

11. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 5.43 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2006 (फाल्गुन 19, शक संवत् 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2006

(फाल्गुन 19, शक संवत् 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02 तथा प्रश्न संख्या 04 से 12 (कुल 11) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 03 (श्रीमती पिंकी शिवराज शाह) अनुपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 23 तारांकित एवं 23 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

प्रश्न संख्या 09 की चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से घोषणा की कि - आज की कार्यसूची में 12 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित किया गया है। इनमें से क्रमशः प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर

रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

(1) सर्वश्री गुलाब सिंह, राजकमल सिंघानिया, ताम्रध्वज साहू, सदस्य ने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं के पेपर लीक होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री मेघाराम साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ. चेतन वर्मा, सदस्य (अनुपस्थित)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि - अब वे कार्यसूची के पद 2 के उप पद (3) से (12) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारेंगे, उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे :-

(3) श्री नोवेल कुमार वर्मा, डॉ. शक्राजीत नायक, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य

(4) श्री नोवेल कुमार वर्मा, श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य

(5) श्री उदय मुदलियार, सदस्य

(6) श्री देवजी पटेल, श्री त्रिलोचन पटेल, सदस्य

(7) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य

(8) श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य

(9) श्री उदय मुदलियार, सदस्य

(10) श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य

(11) श्री उदय मुदलियार, सदस्य

(12) श्री उदय मुदलियार, मोहम्मद अकबर, सदस्य

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री उदय मुदलियार, सदस्य

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची के पद क्रमांक-3 में सम्मिलित याचिकायें उपस्थित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेगी :-

(1) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य

(2) श्री भूपेश बघेल, सदस्य

(3) श्री रविन्द्र चौबे

6. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा

श्री गणेश राम भगत, आदिम जाति विकास मंत्री ने अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-15, आदिम जाति कल्याण विभाग से संबंधित मांग संख्या-33, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित मांग संख्या-41, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या-42, अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या-49, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकासों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-53, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक से संबंधित मांग संख्या-64, पिछड़ा वर्ग कल्याण से संबंधित मांग संख्या-66, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- भवन से संबंधित मांग संख्या-68, बिलासपुर संभाग में आदिवासी क्षेत्रों का विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या-77, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-82, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-83, आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित मांग संख्या-21 की अनुदान मांगें प्रस्तुत की।

मांगों पर उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों तथा कटौती के प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई। डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री देवजी पटेल,

7. भोजन अवकाश स्थगित

माननीय सभापति महोदय ने सभा की सहमति से भोजन अवकाश स्थगित कर चर्चा निरंतर जारी रखी एवं माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में तथा पत्रकारों के लिये पत्रकार कक्ष के स मीप दोपहर भोज का आयोजन वित्त मंत्री जी द्वारा किये जाने की जानकारी दी।

8. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री धर्मजीत सिंह, श्री विनोद खांडेकर, गुलाब सिंह

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

श्री लालसाय खुंटे, श्री लच्छुराम कश्यप,

मांगों पर चर्चा पूर्ण होने व मांगों के पारण उपरांत अंतिम 2.30 घंटे अशासकीय कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की गई।

9. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

सर्वश्री अमरजीत भगत, चन्दूलाल साहू, नोवेल कुमार वर्मा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री कवासी लखमा, सिद्धनाथ पैकरा, ओंकार शाह, सुश्री रोजलिन बेकमेन, डॉ. शिवकुमार डहरिया, दयालदास बघेल, चन्द्रभान बारमते, लाल महेन्द्रसिंह टेकाम, प्रीतम सिंह दीवान।

श्री गणेश राम भगत, आदिम जाति विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. अशासकीय संकल्प

(1) प्रदेश में छत्तीसगढ़ी अकादमी की स्थापना

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ. सुभाऊ कश्यप, श्री गणेश शंकर बाजपेयी, श्री त्रिलोचन पटेल, श्री देवव्रत सिंह।

श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प पर मत लिया गया।

संकल्प पर मत विभाजन हुआ।

संकल्प के पक्ष में 11 एवं विपक्ष में 30 मत प्राप्त हुए।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

(2) प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के किसानों द्वारा ट्रेक्टर हेतु लिये गये बैंक ऋण के भुगतान हेतु उनके मालिकाना हक की भूमि में लगे वृक्षों को विक्रय कर बैंक ऋण अदा करने की अनुमति दी जाना

श्री देवलाल दुग्गा, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री भूपेश बघेल तथा श्री देवव्रत सिंह, सदस्य।

श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापस हुआ।

(3) श्री नंदकुमार पटेल (अनुपस्थित)

सायं 6.24 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2006 (फाल्गुन 29, शक संवत् 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2006

(फाल्गुन 29, शक संवत् 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 20 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10 तथा प्रश्न संख्या 13 से 20 (कुल 16) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 01, 16 तथा 10 में क्रमशः मोहम्मद अकबर एवं डॉ. चेतन वर्मा ने श्री भूपेश बघेल, सदस्य को अधिकृत किया।

प्रश्न संख्या 03, प्रश्न संख्या 06, प्रश्न संख्या 11 एवं प्रश्न संख्या 12 के प्रश्नकर्ता क्रमशः श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम, श्री ओंकार शाह, श्री संजीव शाह, श्री योगेश्वर राज सिंह, सदस्य अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 08 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004 एवं 2005 पटल पर रखा।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने राजधानी रायपुर में ब्राउन शुगर एवं गांजा की अवैध तस्करी होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

श्री राम विचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 01 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।

5. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा में राईस मिलरों द्वारा धान तथा चावल का अवैध भंडारण किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पूनम चंद्राकर, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - नियम 267-क के अधीन निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य

(2) श्रीमती रमशीला साहू, सदस्य

7. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री देवव्रत सिंह, सदस्य ने याचिका समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - आज की कार्यसूची के पद क्रमांक-5 में सम्मिलित याचिकायें उपस्थित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेगी :-

(1) श्री चैतराम साहू, सदस्य

9. समितियों के लिए निर्वाचन

लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - सभा के सदस्यगण विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम - 221 के उप नियम (3), 223 के उप नियम (2) तथा 223-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2006-2007 की अवधि के लिए अपने में से क्रमशः 09-09 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

श्री गणेश राम भगत, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - सभा के सदस्यगण विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2006-2007 की अवधि के लिए अपने में से 09 सदस्य, जिनमें से क्रमशः 03-03 सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2006 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।

2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2006 को अपराह्न 1.30 बजे विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में होगी।

3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना गुरुवार, दिनांक 23 मार्च, 2006 को अपराह्न 1.30 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है।

4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2006 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक -1 में होगा।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।

उपर्युक्त, निर्वाचनों में अभ्यार्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

10. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने वित्त विभाग से संबंधित मांग संख्या-6, वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित मांग संख्या-7, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित मांग संख्या-31, बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाले सहायता अनुदान से संबंधित मांग संख्या-38, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित मांग संख्या-50, जिला परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या-60, नगरीय

प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय निकास से संबंधित मांग संख्या-22, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण से संबंधित मांग संख्या-69, नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-81 की अनुदान मांगें प्रस्तुत की।

मांगों पर उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों तथा कटौती के प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई। डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

11. भोजन अवकाश स्थगित

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभा की सहमति से भोजन अवकाश स्थगित कर चर्चा निरंतर जारी रखी एवं माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में तथा पत्रकारों के लिए पत्रकार कक्ष के समीप दोपहर भोज का आयोजन जल संसाधन मंत्री जी द्वारा किये जाने की जानकारी दी।

12. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव (जारी), श्री देवजी पटेल

(सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए।)

श्री देवजी पटेल (जारी)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री देवजी पटेल (जारी), श्री उदय मुदलियार

(सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री इंदर चोपड़ा, धर्मजीत सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

13. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष महोदय ने अध्यक्षीय दीर्घा में राज्य सभा के नव निर्वाचित सदस्य श्री गोपाल व्यास के उपस्थित होने पर सदन की ओर से स्वागत किया।

14. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

सर्वश्री डॉ. बालमुकुन्द देवांगन, देवव्रत सिंह, विजय अग्रवाल, लाल साय खुंटे, नोवेल कुमार वर्मा, डॉ. हरिदास भारद्वाज।

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री मेघाराम साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्कूल शिक्षा से संबंधित मांग संख्या 27 की अनुदान मांगें प्रस्तुत की।

मांगों पर उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों तथा कटौती के प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई। डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

माननीय सभापति महोदय ने सदन की सहमति से स्कूल शिक्षा विभाग की मांगों पर चर्चा हेतु सदन के समय में सायं 7.00 बजे तक वृद्धि की घोषणा की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री इंदर चोपड़ा, देवव्रत सिंह, सुश्री रोजलिन बेकमेन, डॉ. शक्राजीत नायक, सिद्धनाथ पैकरा, उदय मुदलियार, विजयनाथ सिंह।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

मांगों पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की गई।

श्री मेघाराम साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.06 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2006 (फाल्गुन 30, शक संवत् 1927) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2006

(फाल्गुन 30, शक संवत् 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 10 तथा प्रश्न संख्या 12 (कुल 11) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 07 में डॉ. चेतन वर्मा के स्थान पर अधिकृत श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने प्रश्न पूछा।

प्रश्न संख्या 11 (श्री ओंकार शाह) अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतगर्त अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 08 तारांकित एवं 30 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास का ध्यान आकर्षित किया।

सुश्री लता उसेंडी, राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने रविशंकर विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा के प्रश्नों-पत्रों की गोपनीयता भंग होने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय चन्द्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

3. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - नियम 267-क के अधीन निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री गणेश शंकर बाजपेयी, सदस्य

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - आज की कार्यसूची के पद क्रमांक-3 में सम्मिलित याचिकायें उपस्थित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य

(2) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य

(3) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य

(4) श्री प्रीतम सिंह दीवान, सदस्य तथा,

(5) श्री चन्दूलाल साहू, सदस्य

5. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा

श्री हेमचन्द यादव, जल संसाधन मंत्री ने जल संसाधन विभाग से संबंधित मांग संख्या-23, आयाकट विभाग से संबंधित मांग संख्या-40, लघु सिंचाई निर्माण कार्य से संबंधित मांग संख्या-45, जल संसाधान विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या-57, जल संसाधान विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या-75, श्रम विभाग से संबंधित मांग संख्या-18, परिवहन विभाग से संबंधित मांग संख्या-36 की अनुदान मांगें प्रस्तुत की।

मांगों पर उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों तथा कटौती के प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई। श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

6. भोजन अवकाश स्थगित

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभा की सहमति से भोजन अवकाश स्थगित कर चर्चा निरंतर जारी रखी एवं माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में तथा पत्रकारों के लिये पत्रकार कक्ष के समीप दोपहर भोज का आयोजन शिक्षा मंत्री जी द्वारा किये जाने की जानकारी दी।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

7. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री देवलाल दुग्गा, धनेन्द्र साहू, इन्दर चोपड़ा, डॉ. शक्राजीत नायक, सत्यनारायण शर्मा, श्रीमती रमशीला साहू

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री लाल साय खुंटे, कवासी लखमा, डॉ. सुभाऊ कश्यप, महंत रामसुंदर दास, डॉ. बाल मुकुंद देवांगन, रामदयाल उइके, डॉ. हरिदास भारद्वाज, नोवेल कुमार वर्मा, देवजी पटेल

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम ।

श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री, लोक निर्माण ने लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या-24, लोक निर्माण कार्य से संबंधित मांग संख्या-67, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या-76, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित मांग संख्या-11, ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित मांग संख्या-56, ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या-78 की अनुदान मांगें प्रस्तुत की।

मांगों पर उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों तथा कटौती के प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई। डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ. बालमुकुन्द देवांगन,

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से सदन के समय में सायं 7.00 बजे तक वृद्धि की घोषणा की।

सर्वश्री नोवेल कुमार वर्मा, देवलाल दुग्गा, अमरजीत भगत, देवजी पटेल (जारी)

सायं 7.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2006 (चैत्र 1, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2006

(चैत्र 1, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02 से 12 (कुल 12) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए। इसके अलावा, दिनांक 15 फरवरी, 2006 को स्थगित प्रश्न संख्या 04 पर भी चर्चा हुई।

प्रश्न संख्या 01 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री सियाराम कौशिक अनुपस्थित रहे। प्रश्न संख्या 02 में सदस्य मोहम्मद अकबर ने श्री भूपेश बघेल को अधिकृत किया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 06 तारांकित एवं 16 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने जगदलपुर वन वृत में परपा नर्सरी के साल वृक्षों की अवैध कटाई किये जाने की ओर राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य ने प्रदेश में ग्राम सभा की बगैर अनुमति के नई शराब दुकानें खोले जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - आज की कार्यसूची के पद क्रमांक-3 में सम्मिलित याचिकायें उपस्थित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेगीः :-

(1) श्री बैदूराम कश्यप, सदस्य

(2) श्री विजयनाथ सिंह, सदस्य

(3) श्री सिद्धनाथ पैकरा, सदस्य तथा,

(4) श्री देवजी पटेल, सदस्य

4. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा

लोक निर्माण विभाग की अनुदान मांगों की पुर्नग्रहित चर्चा पर श्री देवजी पटेल, सदस्य ने अपना भाषण पुनः प्रारंभ किया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

श्री लच्छुराम कश्यप

5. भोजन अवकाश स्थगित

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सभा की सहमति से भोजन अवकाश स्थगित कर चर्चा निरंतर जारी रखी एवं माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में तथा पत्रकारों के लिये पत्रकार कक्ष के स मीप दोपहर भोज का आयोजन राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग द्वारा किये जाने की जानकारी दी।

6. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री लच्छुराम कश्यप (जारी), श्री मोतीलाल देवांगन, डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, श्रीमती रमशीला साहू, श्री गणेश शंकर बाजपेयी,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, राजशरण भगत, उदय मुदलियार, दयालदास बघेल, सुश्री रोजलिन बेकमेन, भूपेश बघेल

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री त्रिलोचन पटेल, ओंकार शाह,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री चन्दूलाल साहू

श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री लोक निर्माण ने चर्चा का उत्तर दिया।

7. बहिर्गमन

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।

8. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित मांग संख्या-19 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित मांग संख्या-79 की अनुदान मांगें प्रस्तुत की।

मांगों पर उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों तथा कटौती के प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई। डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री डॉ. बालमुकुन्द देवांगन, डॉ. शक्राजीत नायक, देवजी पटेल,

माननीय सभापति महोदय ने सदन की सहमति से कार्यसूची में दर्ज मांग संख्या 20 पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, चंदूलाल साहू, राजकमल सिंघानिया, संजीव शाह, उदय मुदलियार, अ मरजीत भगत

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री अमरजीत भगत (जारी)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.54 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 23 मार्च, 2006 (चैत्र 2, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

गुरूवार, दिनांक 23 मार्च, 2006

(चैत्र 2, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 22 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 10 के अलावा, दिनांक 09 मार्च, 2006 के स्थगित प्रश्न संख्या 04 (कुल 11) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 08 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अन्तर्गत पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005 पटल पर रखा।

(2) श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए (छत्तीसगढ़ शासन) पटल पर रखा।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने जिला राजनांदगांव, तहसील डोंगरगढ़ के कोलारघाट में नक्सलियों द्वारा बारूदी विस्फोट किये जाने से पुलिस जवानों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान

आकर्षित किया।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने शासन द्वारा बांटी गई गायों की अकाल मौतें होने की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

श्री पूनम चंद्राकर, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - नियम 267-क के अधीन निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) मोहम्मद अकबर, सदस्य

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य तथा

(3) श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम, सदस्य

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री दयाल दास बघेल, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2006 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये उनके समक्ष अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्र.	विषय	समय
1. (क्रमांक - 28)	श्री नंद कुमार पटेल	1 घंटा
2. (क्रमांक - 47)	डॉ. बालमुकुन्द देवांगन	45 मिनट
3. (क्रमांक - 30)	श्री नंद कुमार पटेल	45 मिनट

◌

श्री दयाल दास बघेल, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पंचम प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

◌

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - आज की कार्यसूची के पद क्र मांक-5 में सम्मिलित याचिकायें निम्नलिखित उपस्थित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम, सदस्य

(2) श्री चन्दूलाल साहू, सदस्य

(3) श्री चैतराम साहू, सदस्य

(4) श्री सियाराम कौशिक, सदस्य तथा

(5) श्रीमती रमशीला साहू, सदस्य

7. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा

श्री केदार कश्यप, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबिधत मांग संख्या-20 की अनुदान मांगें प्रस्तुत की।

मांगों पर उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई। डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

8. भोजन अवकाश स्थगित

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सभा की सहमति से भोजन अवकाश स्थगित कर चर्चा निरंतर जारी रखी एवं माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में तथा पत्रकारों के लिये पत्रकार कक्ष के स मीप दोपहर भोज का आयोजन राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग द्वारा किये जाने की जानकारी दी।

9. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्रीमती रमशीला साहू, श्री उदय मुदलियार, सुश्री रोजलिन बेकमेन,

(सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री देवव्रत सिंह, लच्छुराम कश्यप, नोवेल कुमार वर्मा, ओंकार शाह

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री देवजी पटेल।

श्री केदार कश्यप, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) सुश्री लता उसेंडी, राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास ने समाज कल्याण से संबंधित मांग संख्या-34 एवं महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित मांग संख्या-55 की अनुदान मांगें प्रस्तुत की।

मांगों पर उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई। डॉ. हरिदास भारद्वाज ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्रीमती रमशीला साहू, श्री उदय मुदलियार, सुश्री रोजलिन बेकमेन, श्री भूपेश बघेल (जारी)

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, श्रीमती पिंकी शिवराज शाह, देवजी पटेल।

सुश्री लता उसेंडी, राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

सुश्री लता उसेंडी, राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय मुख्यमंत्री की मांगे प्रस्तुत होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि - यह मान्य प्रक्रिया है कि सदन में आसंदी को संदर्भित करते हुये किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिये। सदन में माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार कुछ निर्बंधों के अन्तगर्त प्राप्त है, जिसका पालन करने की अपेक्षा सदस्यों से की जाती है। मुझे अत्यंत खेद के साथ यह टिप्पणी करनी पड़ रही है कि माननीय सदस्य श्री इंदर चोपड़ा, अपेक्षित व्यवहार का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कल भी एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे मैंने विलोपित कर, उन्हें निर्देशित भी किया था। आज पुनः उन्होंने आसंदी को संदर्भित करते हुए टिप्पणी की है, मैंने उनकी टिप्पणी को विलोपित कर दिया है। मैं उन्हें सचेत कर रहा हूं कि वे अपना व्यवहार मर्यादा अनुरूप रखें।

11. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(3) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित मांग संख्या-1, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्ययों से संबंधित मांग संख्या-2, ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या-12, जनसम्पर्क विभाग से संबंधित मांग संख्या-32, विमानन विभाग से संबंधित मांग संख्या-65, खनिज साधन विभाग से संबंधित मांग संख्या-25 की अनुदान मांगें प्रस्तुत की।

मांगों पर उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

सायं 5.35 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2006 (चैत्र 3, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2006

(चैत्र 3, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07 तक तथा प्रश्न संख्या 09 से 15 प्रश्न संख्या 18 (कुल 15) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न क्रमांक 07 में सदस्य श्री चुरावन मंगेशकर ने श्री गणेश शंकर बाजपेयी को अधिकृत किया। प्रश्न संख्या 08, 16 तथा 17 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री चैतराम साहू, डॉ. चेतन वर्मा एवं श्री विक्रम उसेंडी अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत 19 परिवर्तित अतारांकित प्रश्नों एवं 28 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

प्रश्न संख्या 12 की चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 228/एफ-1 (14) 05/48/सं.का., दिनांक 2 मार्च, 2006 एवं

(2) श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 33 (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-1069/वि-3/रा.ग्रा.रो.गा.यो./2006 दिनांक 3 मार्च, 2006 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पटल पर रखी।

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष ने दोहरे लाभ के पदों पर कार्यरत जनप्रतिनिधियों की निरर्हता संबंधी उनके स्थगन प्रस्ताव की सूचना को ग्राह्य करने का आसंदी से अनुरोध किया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने इसका समर्थन किया।

संसदीय कार्य मंत्री श्री अजय चंद्राकर एवं राजस्व मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने विषय विधान सभा से संबंधित न होने के कारण स्थगन को लेने की आवश्यकता न होने संबंधी तर्क दिया।

दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि -

4. व्यवस्था

कोई सदस्य किसी कारण से सदस्यता के लिए निर्हर हो गया है कि नहीं इसके लिए कोई भी नागरिक संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग या न्यायालय में जा सकता है। यह विषय सभा द्वारा चर्चा करने अथवा अध्यक्ष द्वारा निर्णित करने का नहीं है। यह विषय राज्य शासन के विचार का नहीं है। संविधान एवं इसके अंतर्गत निर्मित विधियों में प्रावधान उपलब्ध हैं।

स्थगन की सूचना में बहुत सारे विषय है जबकि स्थगन किसी एक विषय वस्तु की सूचना पर होता है। उस विषय में सदस्य की निर्हरता से लेकर बाकी चीजों का भी उल्लेख है, यह बात सही है। चूंकि सदन या अध्यक्ष, किसी सदस्य की निर्हरता संबंधी कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। आज मुख्य मंत्री जी की अनुदान मांगों पर चर्चा प्रारंभ हो रही है सदस्य अपनी बात और अपने विचार उसमें रख सकते हैं। यह विषय स्थगन का नहीं है, मैंने इस प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया है।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा शासन द्वारा चर्चा न कराए जाने से अंसतुष्ट होकर सरकार विरोधी नारे लगाये गए।

5. उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - वर्ष 2006 के लिए उत्कृष्ट विधायक के चयन हेतु गठित समिति ने माननीय सदस्य सर्वश्री धर्मजीत सिंह एवं लच्छुराम कश्यप को उत्कृष्ट विधायक के रूप में पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। पुरस्कार वितरण दिनांक 27 मार्च को सायं 7.00 बजे आयोजित किया गया है।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की ओर से दोनों सदस्यों को बधाई दी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा लगातार सरकार विरोधी नारेबाजी की गई।

लगातार व्यवधान रहने से 12.51 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित होकर 1.14 बजे पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग पुन: दोहराई गई एवं सरकार विरोधी नारे लगाए गये।

6.
भोजन अवकाश स्थगित

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सभा की सहमति से भोजन अवकाश स्थगित कर चर्चा निरंतर जारी रखी एवं माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में तथा पत्रकारों के लिये पत्रकार कक्ष के स मीप दोपहर भोज का आयोजन राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा किये जाने की जानकारी दी।

प्रतिपक्ष के सदस्य लगातार सरकार विरोधी नारे लगाते रहे।

लगातार व्यवधान रहने से 1.26 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित होकर 1.58 बजे पुन: प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

7. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में दर्ज ध्यानाकर्षण सूचनाएं एवं उनके उत्तर पढ़े हुए माने जायेंगे।

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - नियम 267-क के अधान निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) महंत रामसुंदर दास, सदस्य तथा

(2) श्रीमती पिंकी शिवराज शाह, सदस्य

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - आज की कार्यसूची के पद क्रमांक-4 में सम्मिलित याचिकायें निम्नलिखित उपस्थित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी गई:-

(1) श्री चैतराम साहू, सदस्य तथा

(2) श्री त्रिलोचन पटले, सदस्य

10. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा

(माननीय मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित मांगों पर)

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई। श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की। (भाषण अपूर्ण)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने आसंदी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके विभागों की मांगों पर चर्चा के समय उपस्थित नहीं है, उनके आने तक सदन को स्थगित किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि संबंधित संसदीय सचिव उपस्थित हैं, इसलिए सभा के स्थगन की आवश्यकता नहीं है।

11. बहिर्गमन

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री जी की अनुदान मांगों पर उनके सदन में उपस्थित न रहने एवं उनके आने तक सदन से बहिर्गमन किया।

12. सदन को सूचना

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से सूचित किया कि आज शुक्रवार होने के कारण अंतिम 2.30 घंटे अशासकीय कार्य के लिए निर्धारित है। 5.00 बजे तक मांगों पर चर्चा जारी रहेगी, तदुपरंता अशासकीय कार्य लिया जाएगा।

13. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री डॉ. बालमुकुन्द देवांगन, भूपेश बघेल, अघन सिंह ठाकुर, रविन्द्र चौबे, देवजी पटेल, देवव्रत सिंह, चन्दूलाल साहू, धर्मजीत सिंह,

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

श्रीमती रमशीला साहू,

14. सदन को सूचना

माननीय सभापति महोदय ने सदन की सहमति से सूचित किया कि मांगों पर चर्चा 6.00 बजे तक जारी रहेगी, तदुपरांत अशासकीय कार्य लिया जाएगा।

15. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

सर्वश्री बोधराम कंवर, सुश्री रोजलिन बेकमेन, देवलाल दुग्गा, रामदयाल उइके (जारी)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री राम दयाल उइके (चर्चा जारी)

16. अशासकीय संकल्प

(1) रायगढ़ नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-200 पर खरसिया (बाईपास) व रायगढ़ नगर (कोतरा) के पास रेल्वे ओव्हर ब्रिज बनाया जाना

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री देवलाल दुग्गा एवं डॉ. हरिदास भारद्वाज।

श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री, लोक निर्माण ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प पर मत लिया गया।

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ।

(2) प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के विकास हेतु शासकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय की स्थापना

डॉ. बालमुकुन्द देवांगन, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री देवजी पटेल, डॉ. हरिदास भारद्वाज एवं श्री चंदूलाल साहू।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने चर्चा का उत्तर दिया तथा माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने का अनुरोध किया।

डॉ. बालमुकुन्द देवांगन, सदस्य ने संकल्प वापस लेने से सहमति व्यक्त की।

संकल्प पर मत लिया गया।

संकल्प के पक्ष में 08 एवं विपक्ष में 26 मत प्राप्त हुए।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

(3) बिलासपुर-इतवारी-बिलासपुर (शिवनाथ एक्सप्रेस) को रायगढ़-इतवारी-रायगढ़ तक चलाया जाना

श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री देवजी पटेल एवं डॉ. हरिदास भारद्वाज।

श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने संकल्प पारित करने की सहमति दी।

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ।

सायं 6.48 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 2006 (चैत्र 6, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 2006

(चैत्र 6, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 15 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 05 एवं 06 तथा प्रश्न संख्या 09 से 13 (कुल 10) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न क्रमांक 04, 07 एवं 08 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री रामदयाल उइके, श्री संजय ढीढी एवं श्री कमलभान सिंह अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 13 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

प्रश्न संख्या 11 की चर्चा के दौरान मान. श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के विरोध में श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने तथा श्री नोवेल कुमार वर्मा, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य ने भी सदन से बहिर्गमन किया।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-एफ-10/30/2005/वाक/पांच(10), दिनांक 22 फरवरी, 2006 पटल पर रखी।

4. बहिर्गमन

लाभ के पदों पर कार्यरत मान. मंत्रीगण तथा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के मामले पर सरकार द्वारा दोहरी नीति अपनाने के विरोधस्वरूप श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने प्रदेश की राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम निर्माण में अनियमितता की ओर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा में बोगस राशन कार्ड के माध्यम से लाखों रूपये की सामग्री प्रदाय किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री ननकीराम कंवर, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2006

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ वृति कर (संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया।

7. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान मांगों की पुनर्ग्रहित चर्चा पर श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने अपना भाषण प्रारंभ किया।

8.
भोजन अवकाश स्थगित

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सभा की सहमति से भोजन अवकाश स्थगित कर चर्चा निरंतर जारी रखी एवं माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में तथा पत्रकारों के लिये पत्रकार कक्ष के स मीप दोपहर भोज का आयोजन मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा किये जाने की जानकारी दी।

9. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

सर्वश्री दयालदास बघेल, नंदकुमार पटेल, सिद्धनाथ पैकरा, गणेश शंकर बाजपेयी, नोवेल कुमार वर्मा,

(सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री गुलाब सिंह, कवासी लखमा, मोहम्मद अकबर।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

10. बहिर्गमन

मान.मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिपक्ष के आरोपों का उत्तर न दिए जाने का आरोप लगाते हुए विरोध में श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया।

11. व्यवस्था

नियम को शिथिल कर विनियोग विधेयक को पुरःस्थापित करने के समय में वृद्धि

मान. मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से विनियोग विधेयक के पुरःस्थापन हेतु पूर्व निर्धारित समय 4.00 बजे को आगे बढ़ाने की घोषणा की।

12. वर्ष 2006-2007 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2006

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2006 (क्रमांक 3, सन् 2006) का पुरःस्थापन किया।

सायं 4.20 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 28 मार्च, 2006 (चैत्र 7, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

मंगलवार, दिनांक 28 मार्च, 2006

(चैत्र 7, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 23 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07 (कुल 07) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न क्रमांक 02 में डॉ. चेतन वर्मा के स्थान पर अधिकृत सदस्य श्री भूपेश बघेल ने प्रश्न किया।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 17 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

प्रश्न संख्या 01 की चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने जिला महासमुंद के महानदी तट पर पत्थरों के अवैध उत्खनन से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य ने गिरौदपुरी मेले में व्यापारियों के साथ लूटपाट व मारपीट होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - नियम 267-क के अधीन निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) महंत रामसुंदर दास, सदस्य तथा

(2) श्री ओंकार शाह, सदस्य

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, सभापति ने लोक लेखा समिति का तेईसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां एवं सत्ताईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - आज की कार्यसूची के पद क्रमांक-4 में सम्मिलित याचिकायें निम्नलिखित उपस्थित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) महंत रामसुंदर दास, सदस्य तथा

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2006

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 6 सन् 2006) पुरःस्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी विधेयक, 2006

श्री हेमचंद यादव, जल संधान मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2006

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2006 के संबंध में निम्नलिखित मान. सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए :-

श्री रविन्द्र चौबे,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

श्री रविन्द्र चौबे (जारी)

9.
भोजन अवकाश स्थगित

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सभा की सहमति से भोजन अवकाश स्थगित कर चर्चा निरंतर जारी रखी एवं माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में तथा पत्रकारों के लिये पत्रकार कक्ष के स मीप दोपहर भोज का आयोजन मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा किये जाने की जानकारी दी।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रविन्द्र चौबे, डॉ. बालमुकुंद देवांगन, धर्मजीत सिंह, देवजी पटेल,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, लच्छुराम कश्यप, नंदकुमार पटेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री कवासी लखमा, नोवेल कुमार वर्मा, सत्यनारायण शर्मा, भूपेश बघेल।

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 व अनुसूची विधेयक के अंग बने।

खंड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2006 पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

सायं 5.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 29 मार्च, 2006 (चैत्र 8, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार, दिनांक 29 मार्च, 2006

(चैत्र 8, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 10 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 10 (कुल 10) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 15 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. पत्रों का पटल पर रखा

श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 पटल पर रखा।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री महेन्द्र कर्मा, सदस्य ने जिला कवर्धा के भोरमदेव स्थित शक्कर कारखाना में व्याप्त अनियमितता की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामविचार नेताम, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने नलों एवं टैंकरों में टोंटी नहीं होने से पेयजल की बरबादी होने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - आज सायं 7.00 बजे उत्कृष्ट विधायक हेतु श्री धर्मजीत सिंह एवं लच्छूराम कश्यप तथा उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार हेतु दैनिक भास्कर के श्री अरूण उपाध्याय को महामहिम राज्यपाल द्वारा अलंकृत किया जायेगा। पश्चात् अनुराधा पौड़वाल द्वारा सुगम संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जायेगा।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - नियम 267-क के अधीन महंत रामसुंदर दास, सदस्य की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी गई।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - आज की कार्यसूची के पद क्रमांक-4 में सम्मिलित याचिकायें निम्नलिखित उपस्थित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) डॉ. बालमुकुंद देवांगन, सदस्य

(2) श्री उदय मुदलियार, सदस्य

(3) डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य

(4) श्री विजयनाथ सिंह, सदस्य तथा

(5) श्री कमलभान सिंह, सदस्य

7. वक्तव्य

श्री राजेश मूणत, राज्यमंत्री, लोक निर्माण ने दिनांक 20 मार्च, 2006 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्रमांक 990) के उत्तर, अनुपूरक प्रश्न के उत्तर एवं वाद-विवाद में संशोधन के संबंध में वक्तव्य दिया।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से सूचित किया कि शासन की ओर से प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु उन्होंने विधेयकों के सम्मुख अंकित समय निर्धारित किया है -

(1)	छत्तीसगढ़ वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 4 सन् 2006)	15 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ होटल तथा वासगृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 5 सन् 2006)	15 मिनट
(3)	छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 6 सन् 2006)	15 मिनट
(4)	छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी विधेयक, 2006 (क्रमांक 7 सन् 2006)	1 घंटा

(5)	छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 8 सन् 2006), तथा	1 घंटा
(6)	छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2006 (क्रमांक 9 सन् 2006)।	2 घंटा

9.
शासकीय विधि विषय कार्य

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने वर्तमान सत्र की अल्प शेष अवधि के परिप्रेक्ष्य में तथा विधेयकों की महत्ता, उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश क्रमांक 23 (2) तथा 24 को शिथिल कर निम्नांकित विधेयकों को आज ही पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की है :-

(1) छत्तीसगढ़ होटल तथा वासगृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 5 सन् 2006)

(2) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2006 (क्रमांक 9 सन् 2006)

(1) छत्तीसगढ़ होटल तथा वासगृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 2006

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ होटल तथा वासगृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2006 (क्रमांक 9 सन् 2006)

श्री रामविचार नेताम, सहकारिता मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2006

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

विधेयक के संबंध में डॉ. हरिदास भारद्वाज तथा श्री देवजी पटेल, सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किए।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 विधेयक का अंग बना।

खंड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(4) छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश कर (संशोधन) विधेयक, 2006

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश कर (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

विधेयक के संबंध में डॉ. हरिदास भारद्वाज तथा श्री देवजी पटेल, सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किए।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 5 विधेयक के अंग बने।

खंड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश कर (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(5) छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी विधेयक, 2006

श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी विधेयक, 2006 पर विचार किया जाए।

विधेयक के संबंध में निम्नलिखित मान. सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए :-

डॉ. शक्राजीत नायक,

10. भोजन अवकाश

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सभा की सहमति से भोजन अवकाश स्थगित कर चर्चा निरंतर जारी रखने एवं माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में तथा पत्रकारों के लिये पत्रकार कक्ष के स मीप दोपहर भोज का आयोजन राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास द्वारा किये जाने की जानकारी दी।

डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री देवजी पटेल, श्री भूपेश बघेल।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

11. व्यवस्था

आपत्ति पुरःस्थापन के समय आनी थी

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि यह विधेयक पूर्व में अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा में पारित हुआ था जो अभी विद्यमान है अतः अब नया विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई संशोधन करना था तो शासन संशोधन विधेयक ला सकता था। श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने भी इसका समर्थन किया।

श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने स्पष्ट किया कि पूर्व के प्रावधानों का इस विधेयक के आने पर निरसन हो जायेगा तथा उसमें कुछ त्रुटियां थीं जिनके कारण यह विधेयक लाया गया है।

मान. उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि विधेयक के पुरःस्थापन के समय आपत्ति आनी चाहिए थी।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

12. व्यवस्था

विद्यमान अधिनियम के स्थान पर नया विधेयक प्रस्तुत करने बाबत्

माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि - जब भी कोई नई विधि परिष्कृत रूप से नये प्रावधानों के साथ लाई जाती है तब प्रक्रिया के अनुरूप निरसन का प्रावधान नये विधेयक में रहता है जो विद्यमान है। अतः इसमें कोई त्रुटि नहीं है, प्रक्रिया के अनुरूप ही है।

श्री भूपेश बघेल (जारी)

(सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए।)

खंड 2 से 57 विधेयक के अंग बने।

खंड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी विधेयक, 2006 पारित किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(6) छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2006

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

विधेयक के संबंध में निम्नलिखित मान. सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए :-

सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, देवजी पटेल, सत्यनारायण शर्मा

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री देवलाल दुग्गा, धर्मजीत सिंह, बोधराम कंवर

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

श्री देवजी पटेल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खण्ड-15 में इस प्रकार का संशोधन किया जाए-

(1) खण्ड-15 के उपखंड (3) के पद (एक) में शब्द व अंक रूपये 10 लाख के स्थान पर रूपये 15 लाख, तथा

(2) खण्ड-15 के उपखंड (3) के पद (दो) में शब्द व अंक रूपये 5 लाख के स्थान पर रूपये 10 लाख स्थापित किये जाएं तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

यथासंशोधित खंड 15 विधेयक का अंग बना।

श्री महेन्द्र कर्मा, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खण्ड-30 में इस प्रकार संशोधन किया जाए -

खण्ड-30 के उपखण्ड (2) के पद (तीन) में शब्द "या जमीन" को

विलोपित किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड 30 विधेयक का अंग बना।

खंड 2 से 14, 16 से 29 व 31 से 75 विधेयक के अंग बने।

खंड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यथासंशोधित छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2006 पारित किया जाए तथा चर्चा का उत्तर दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

यथा संशोधित विधेयक पारित हुआ।

13. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान होने के संबंध में श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री इंदर चोपड़ा, धर्मजीत सिंह, देवजी पटेल, देवव्रत सिंह, लच्छुराम कश्यप।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

14. बहिर्गमन

श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 5.10 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 30 मार्च, 2006 (चैत्र 9, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 30 मार्च, 2006
(चैत्र 9, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई ।
(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 09 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 तथा 03 से 09 (कुल 08) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्नों का दूसरा चक्र भी पुकारा गया ।

प्रश्न संख्या 02 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री रामपुकार सिंह अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 14 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

प्रश्न संख्या 03 की चर्चा के दौरान श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य राष्ट्रवादी कांग्रेस ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव ने विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 (क्रमांक 54 सन् 1948) की धारा 75 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 पटल पर रखा ।

(2) श्री पूनम चन्द्राकर, संसदीय सचिव ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्अधिनियम, 1984 (क्रमांक 52 सन् 1984) की धारा 65 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-1614/35/181/पचिप, दिनांक 14 सितम्बर, 2005 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियम, 2005 पटल पर रखा ।

4. महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि दिसम्बर, 2005 सत्र में पारित निम्नलिखित विधेयकों पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हुई है :-

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005)

(2) छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा विधेयक, 2005 (क्रमांक 27 सन् 2005)

माननीय अध्यक्ष की अनुमति से सचिव विधान सभा ने उक्त विधेयकों को पटल पर रखा ।

5. महामहिम राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयक की सूचना

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि दिनांक 02 दिसम्बर, 2004 को पारित छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण विधेयक, 2004 (क्र.21 सन् 2004) महामहिम राज्यपाल महोदय ने पुनर्विचार के लिए लौटाया है।

माननीय अध्यक्ष की अनुमति से सचिव, विधान सभा ने विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 91 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण विधेयक, 2004 (क्रमांक 21 सन् 2004) विधान सभा द्वारा यथापारित रूप में तथा महामहिम राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाये गए रूप में पटल पर रखा ।

6. बहिर्गमन

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा प्रदेश में लगातार हो रही नक्सली गतिविधियों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सरकार द्वारा वक्तव्य नहीं देने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

7. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से घोषणा की कि आज की कार्यसूची में 24 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक - 22(6) के तहत शामिल किया गया है । विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे । उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा । लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी । संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि पहले क्रमांक (1) से (04) तक की सूचनाएं ली जावेगी ।

(1) श्री महेन्द्र कर्मा, सदस्य ने महानदी मुख्य नहर जीर्णोद्धार कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।
श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल में बिजली बिल निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।
श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(3) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने जिला दंतेवाड़ा में जानवरों हेतु दवाई क्रय में अनियमितता किये जाने की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री पूनम चंद्राकर, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(4) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने जिला कबीरधाम में कवर्धा के देवांगन पारा स्थित कबीरपंथ के गुरूमाताओं की समाधि तोड़कर व्यावसायिक परिसर बनाये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रमांक - 7 पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि अब वे कार्यसूची के पद 5 के उप पद (5) से (24) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारेंगे, उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे ।

(5) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य

(6) डॉ.बालमुकुंद देवांगन, सदस्य

(7) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य

(8) श्री धर्मजीत सिंह, श्री भूपेश बघेल, डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य

(9) मोहम्मद अकबर, श्री भूपेश बघेल, सदस्य

(10) श्री देवजी पटेल, श्री त्रिलोचन पटेल, डॉ.बालमुकुंद देवांगन, सदस्य

(11) श्री महेन्द्र कर्मा, श्री भूपेश बघेल, मोहम्मद अकबर, सदस्य

(12) श्री देवजी पटेल, सदस्य

(13) श्री उदय मुदलियार, सदस्य

(14) डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य

(15) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य

(16) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य

(17) मोहम्मद अकबर, श्री उदय मुदलियार, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य

(18) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य

(19) श्री महेन्द्र कर्मा, श्री भूपेश बघेल, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य

(20) श्री गणेश शंकर बाजपेयी, श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य

(21) श्री भूपेश बघेल, सदस्य

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - नियम 267-क के अधीन निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य तथा

(2) श्री अमरजीत भगत, सदस्य

9. समितियों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिए 09-09 मान.सदस्यों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं । चूंकि तीनों समितियों के लिए 09-09 सदस्य ही निर्वाचित किये जाना है, अत: निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समितियों के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है :-

लोक लेखा समिति

1. श्री विजय अग्रवाल
2. श्री संजय ढीढी
3. श्री सिद्धनाथ पैकरा
4. श्री इन्दर चोपड़ा
5. श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम
6. श्री रविन्द्र चौबे
7. डॉ. शक्राजीत नायक
8. श्री गणेश शंकर बाजपेयी
9. श्री भूपेश बघेल

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

प्राक्कलन समिति

1. श्री कमलभान सिंह
2. डॉ. बालमुकुन्द देवांगन
3. श्री त्रिलोचन पटेल
4. श्री प्रीतम सिंह दीवान
5. श्री भरत साय
6. श्री देवजी पटेल
7. श्री नन्द कुमार पटेल
8. श्री धर्मजीत सिंह
9. श्री रामदयाल उइके

श्री कमलभान सिंह, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

Scanned with OKEN Scanner

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

1. श्रीमती रेणुका सिंह
2. श्री देवलाल दुग्गा
3. श्री संजीव शाह
4. श्री ओमप्रकाश राठिया
5. श्री विजयनाथ सिंह
6. श्री सत्यनारायण शर्मा
7. श्री उदय मुदलियार
8. श्री अमरजीत भगत
9. श्री नोवेल वर्मा

श्रीमती रेणुका सिंह, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये 9 मान. सदस्यों के नाम - निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि 9 सदस्य ही निर्वाचित किये जाने हैं अतः निम्नलिखित सदस्यों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है :-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

1. श्री लच्छूराम कश्यप
2. श्री प्रीतम साहू
3. श्री विनोद खाण्डेकर
4. श्रीमती रमशीला साहू
5. श्रीमती पिंकी शिवराज शाह
6. श्री गुलाब सिंह
7. श्री मोतीलाल देवांगन
8. डॉ. हरिदास भारद्वाज
9. श्री लाल साय खूँटे

श्री लच्छूराम कश्यप, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

10. नाम-निर्देशित समितियों का गठन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203(1), 208(1), 213, 217(1), 224(2), 225(1), 231(2), 232(1), 233(1), 234-ग, 234-घ(2) एवं 234-ज(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित समितियों के सदस्यों को वर्ष 2006-2007

की अवधि में सेवा करने के लिये तथा नियम 234-च (2) के अनुसार महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति के लिये सदस्यों को वर्ष 2006-2008 की अवधि में सेवा करने के लिये नाम-निर्दिष्ट तथा नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन समितियों में उनके सभापतियों को नियुक्त किया गया है:-

कार्य मंत्रणा समिति

1. माननीय श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, अध्यक्ष विधान सभा, पदेन सभापति
2. माननीय डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री
3. माननीय श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष
4. श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधि मंत्री
5. श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री
6. श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री
7. श्री नन्द कुमार पटेल
8. श्री सत्यनारायण शर्मा
9. श्री भूपेश बघेल

विशेष आमंत्रित सदस्य :-

1. माननीय श्री बद्रीधर दीवान, उपाध्यक्ष विधान सभा
2. श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री
3. श्री राम विचार नेताम, गृह मंत्री
4. श्री अघन सिंह ठाकुर
5. श्री रविन्द्र चौबे
6. श्री धर्मजीत सिंह

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

1. श्री अघन सिंह ठाकुर
2. श्री ओमप्रकाश राठिया
3. श्री भरत साय
4. सुश्री रोजलीन बैकमेन
5. श्री बलराम सिंह ठाकुर
6. श्री राजेन्द्र पामभोई
7. डॉ. शिव कुमार डहरिया

श्री अघन सिंह ठाकुर, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

याचिका समिति

1. श्री संजय ढीढी
2. श्री बैदूराम कश्यप
3. श्रीमती रमशीला साहू
4. श्री कमलभान सिंह
5. श्री रामपुकार सिंह
6. श्री उदय मुदलियार
7. श्री गुलाब सिंह

श्री संजय ढीढी, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

प्रत्यायुक्त विधान समिति

1. श्री देवलाल दुग्गा
2. श्री प्रीतम साहू
3. श्रीमती पिंकी शिवराज शाह
4. श्री चन्दूलाल साहू
5. श्री धनेन्द्र साहू
6. श्री चन्द्रभान बारमते
7. श्री कवासी लखमा

श्री देवलाल दुग्गा, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

1. श्री त्रिलोचन पटेल
2. डॉ. सुभाऊ कश्यप
3. श्री संजीव शाह
4. श्री अघन सिंह ठाकुर
5. श्री उदय मुदलियार
6. श्री राजकमल सिंघानिया
7. श्री योगेश्वर राज सिंह

श्री त्रिलोचन पटेल, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

विशेषाधिकार समिति

1. श्री विजय अग्रवाल
2. श्री शिवप्रताप सिंह
3. श्री लच्छूराम कश्यप
4. सुश्री रोजलीन बैकमेन
5. मोहम्मद अकबर
6. श्री गणेश शंकर बाजपेयी
7. श्री धर्मजीत सिंह

श्री विजय अग्रवाल, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

नियम समिति

1. माननीय श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, अध्यक्ष विधान सभा, पदेन सभापति
2. माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधि मंत्री, पदेन सदस्य
3. श्री देवजी पटेल
4. श्री सिद्धनाथ पैकरा
5. डॉ. शक्राजीत नायक
6. श्री मोतीलाल देवांगन
7. डॉ. चेतन वर्मा

सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति

1. श्री संजीव शाह
2. श्री विनोद खाण्डेकर
3. श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम
4. श्री विजयनाथ सिंह
5. डॉ. बालमुकुन्द देवांगन
6. डॉ. चेतन वर्मा
7. श्री ताम्रध्वज साहू
8. श्री चैतराम साहू
9. श्री लाल साय खूंटे

श्री संजीव शाह, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

पुस्तकालय समिति

1. श्री इन्दर चोपड़ा
2. श्रीमती रेणुका सिंह
3. श्री बैदूराम कश्यप
4. श्री प्रीतम साहू
5. श्री भूपेश बघेल
6. श्री नन्द कुमार पटेल
7. श्री नोबेल कुमार वर्मा

श्री इन्दर चोपड़ा, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति

1. डॉ. सुभाऊ कश्यप
2. श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम
3. श्री कमलभान सिंह
4. श्री त्रिलोचन पटेल
5. श्री बोधराम कंवर
6. श्री रामदयाल उइके
7. श्री अमरजीत भगत

डॉ. सुभाऊ कश्यप, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति

1. श्री देवजी पटेल
2. श्री चन्दूलाल साहू
3. श्री राजशरण भगत
4. श्री प्रीतम सिंह दीवान
5. श्री भूपेश बघेल
6. मोहम्मद अकबर
7. श्री धनेन्द्र साहू

श्री देवजी पटेल, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

Scanned with OKEN Scanner

आचरण समिति

1. माननीय श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, अध्यक्ष विधान सभा, पदेन सभापति
2. माननीय डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, पदेन सदस्य
3. माननीय श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष, पदेन सदस्य
4. श्री शिवप्रताप सिंह
5. श्री देवलाल दुग्गा
6. श्री विजय अग्रवाल
7. श्री ओंकार शाह
8. डॉ. हरिदास भारद्वाज
9. श्री सियाराम कौशिक

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति

1. श्रीमती रेणुका सिंह
2. श्रीमती पिंकी शिवराज शाह
3. श्री भरत साय
4. श्रीमती रमशीला साहू
5. डॉ. बालमुकुन्द देवांगन
6. श्री कवासी लखमा
7. श्री राजकमल सिंघानिया
8. मोहम्मद अकबर
9. कुमारी कामदा जोल्हे

श्रीमती रेणुका सिंह, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

11. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) डॉ. बालमुकुंद देवांगन, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

(2) श्री इंदर चोपड़ा, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का पंचम, षष्ठम एवं सप्तम प्रतिवदेन प्रस्तुत किया ।

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - आज की कार्यसूची के पद क्रमांक-4 में सम्मिलित याचिकायें निम्नलिखित उपस्थित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य

(3) डॉ.बालमुकुंद देवांगन, सदस्य तथा

(4) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य

13. व्यवस्था

कार्यवाही से अंशों को विलोपित किये जाने बाबत्

माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि - आज सदन में, माननीय सदस्य सत्यनारायण शर्मा द्वारा दिनांक 24 मार्च को माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह द्वारा व्यक्त विचारों को संदर्भित कर कुछ अंशों को विलोपित करने का आग्रह किया था । तत्समय माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह ने अपनी बातें रखते हुए यह आग्रह किया था कि विलोपित नहीं किया जाए । मैंने कार्यवाही देखकर यथोचित निर्णय लेने का कहा था । मैंने उक्त दिवस की कार्यवाही देखी, मेरा यह मत है कि किसी माननीय सदस्य द्वारा सदन में विचारों की अभिव्यक्ति उसका संवैधानिक अधिकार है, यही लोकतंत्र का सबसे उज्जवल पक्ष भी है कि सदस्य बिना किसी दबाव के, अपनी अभिव्यक्ति सदन में, सदन की स्थापित परम्पराओं के अनुरूप आसंदी की अनुमति से करते हैं । किसी भी माननीय सदस्य के द्वारा अभिव्यक्त विचारों को, किसी अन्य माननीय सदस्य के आग्रह, निवेदन अथवा मांग पर विलोपित करना, माननीय सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों के सर्वथा प्रतिकूल है, जब तक कि वह असंसदीय, सर्वथा वर्जनीय न हो यह आसंदी का विवेक व अधिकार है । इसलिए माननीय सदस्यों को भी, इस प्रकार की कोई मांग करने के पूर्व अवश्य इस पर विचार करना चाहिए कि उनकी मांग क्या सही तथ्यों पर आधारित है ।

मैंने कार्यवाही देखी है और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसे विलोपित किया जाए ।

(1.48 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए ।)

14. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

(1) श्री देवजी पटेल, सभापति ने सहकारी गृह निर्माण समितियों में अनियमितता संबंधी जांच समिति, का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाने का प्रस्ताव किया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) डॉ.सुभाऊ कश्यप, सभापति ने विशेषाधिकार समिति की जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाने का प्रस्ताव किया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ होटल तथा वासगृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 2006

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ होटल तथा वासगृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाए ।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने आसंदी से अनुरोध किया कि दिनांक 24.2.2006 को दंतेवाड़ा में ग्रामीण रोजगार खाद्यान्न वितरण में अनियमितता संबंधी ध्यानाकर्षण पर चर्चा के दौरान पंचायत मंत्री ने आश्वासन दिया था कि सत्र के अंतिम दिवस तक शेष सम्पूर्ण जानकारी सदन को दे दी जायेगी और माननीय मंत्री जी द्वारा जो जानकारी रखी गई है, वह पूरी नहीं है। आज सत्र का अंतिम दिवस है। इसलिए पूरी जानकारी सदन में सरकार की ओर से आनी चाहिए।

सर्वश्री मोहम्मद अकबर, महेन्द्र कर्मा, रविन्द्र चौबे, नोवेल कुमार वर्मा, रविन्द्र चौबे, सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने इसका समर्थन किया ।

16. व्यवस्था

माननीय सभापति महोदय ने व्यवस्था दी कि माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था, उसकी पूर्ति उन्होंने जानकारी देकर की है। आपने अभी सदन में जो माननीय मंत्री जी के जवाब में खामियों की बात कही, आपकी वह बात भी सदन के रिकार्ड में आ गई है। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो इसके लिए जो प्रक्रिया है, उसका आप पालन कर सकते हैं।

प्रतिपक्ष के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सरकार विरोधी नारे लगाए ।

व्यवधान रहने से 3.31 बजे सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित होकर 3.44 बजे पुनः प्रारंभ हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

17. शासकीय विधि विषयक कार्य(क्रमशः)

डॉ. हरिदास भारद्वाज एवं श्री देवजी पटेल, सदस्य ने विधेयक की चर्चा में भाग लिया ।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

Scanned with OKEN Scanner

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने ।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ होटल तथा वासगृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2006 (क्रमांक 9 सन् 2006)

श्री रामविचार नेताम, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय तथा विधेयक के प्रावधानों पर प्रकाश डाला ।

मोहम्मद अकबर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की । निम्मलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री डॉ.बालमुकुंद देवांगन, सत्यनारायण शर्मा, लच्छुराम कश्यप, रविन्द्र चौबे,

सदन की सहमति से कार्यसूची में दर्ज कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई ।

श्री देवजी पटेल, श्री महेन्द्र कर्मा, डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ।
श्री रामविचार नेताम, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 141 विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने ।

श्री रामविचार नेताम, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2006 पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

18. सामान्य प्रयोजन समिति का गठन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम - 234 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सदस्यों को सामान्य प्रयोजन समिति के लिए वर्ष 2006-2007 की अवधि में सेवा करने के लिए नाम निर्दिष्ट किया :-

1. डा. रमन सिंह, मुख्यमंत्री
2. श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष
3. श्री बद्रीधर दीवान, उपाध्यक्ष विधानसभा
4. श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्यमंत्री
5. श्री रविन्द्र चौबे
6. श्री कमलभान सिंह
7. श्रीमती रेणुका सिंह
8. श्री लच्छुराम कश्यप
9. श्री अघन सिंह ठाकुर
10. श्री संजय ढीढी
11. श्री देवलाल दुग्गा
12. श्री त्रिलोचन पटेल
13. श्री विजय अग्रवाल
14. श्री संजीव शाह
15. श्री इन्दर चोपड़ा
16. डा. सुभाऊ कश्यप
17. श्री देवजी पटेल
18. श्री नोवेल कुमार वर्मा
19. श्री लाल साय खुंटे

अध्यक्ष विधानसभा उक्त समिति के पदेन सभापति होंगे ।

Scanned with OKEN Scanner

19. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

आज द्वितीय विधान सभा के अष्ठम् सत्र का अंतिम दिवस है । यह अष्ठम् सत्र दिनांक 13 फरवरी, 2006 को आरम्भ हुआ और आज इसकी अंतिम बैठक है । बैठकों की दृष्टि से यदि देखें तो यह सत्र सबसे लम्बा सत्र रहा जिसमें कुल 30 बैठकें हुई तथा कुल सत्रावधि 46 दिन रहीं और इतनी ही अधिक बैठकों के बावजूद भी माननीय सदस्यों ने वित्तीय कार्य के सम्पादन के लिये प्रतिदिन भोजन अवकाश स्थगित रखकर सामान्य समय के अतिरिक्त लगभग 28 घंटे अधिक कार्य किया । इस प्रकार यदि हम देखें तो औसत रूप से समयावधि के मान से इस सत्र में आप समस्त माननीय सदस्यों ने कुल 35 बैठकें की और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया ।

मुझे समरण है कि विगत सत्र में गर्भगृह में बार-बार आने से दुखी होकर मैंने यह अभिव्यक्त किया था कि क्या अब यह समय नहीं आ गया कि हम ऐसे नियमों को ही नियमावली से पृथक कर दें जिसका हम पालन नहीं कर सकें ? मैंने इसी संदर्भ में वर्तमान सत्र के आरंभ होने के पूर्व सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक भी आहूत की थी और मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि इस बैठक में सभी दलों के माननीय सदस्यों ने मुझे यह विश्वास दिलाया था कि गर्भगृह में आने पर स्वमेव निलंबन का प्रावधान यथावत् ही रखा जाये और मुझे आज अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि इस 30 बैठक वाले सत्र में क्षणिक तौर पर एक अवसर के अतिरिक्त कोई ऐसा अवसर नहीं आया जबकि सभा में किसी भी सदस्य ने संसदीय परम्पराओं एवं परिपाटियों के विपरीत कार्य किया हो । संसदीय परम्पराओं एवं परिपाटियों के प्रति सदस्यों की इस भावना एवं प्रतिबद्धता के कारण ही आज आपकी विधान सभा का नाम मान-सम्मान के साथ लिया जाता है ।

छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा ने संसदीय प्रणाली अन्य सभी शासन प्रणाली से बेहतर एवं उत्कृष्ट स्वरूप की है, ऐसा विश्वास करने वालों के लिये एक मिसाल कायम की है । वर्तमान बजट सत्र में दिनांक 17 फरवरी, 2006 को सभा में राज्य में बढ़ती नक्सली गतिविधियों के संदर्भ में स्थगन प्रस्ताव पर नक्सल समस्या पर हुई चर्चा का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं । वास्तव में स्थगन प्रस्ताव पर हुई चर्चा संसदीय इतिहास में एक विरले उदाहरण के रूप में हमेशा के लिये अंकित हो गई है । मैंने उक्त दिवस को यह टिप्पणी भी की थी कि संसदीय इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब स्थगन प्रस्ताव की शुरूआत शासन-प्रशासन की चूक और निन्दा से शुरू हुई हो और समापन न सिर्फ एक दूसरे की प्रशंसा के साथ कि सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष एक दूसरे की प्रशंसा करें । बल्कि एक पक्ष के सदस्य दूसरे दल के नेता की प्रशंसा करते हुये समस्या के समाधान के लिये साथ-साथ चलने का संकल्प ले रहे हैं तथा पूरी समस्या का परिणामदायक समाधान हो, इसका आज एक अनूठा प्रसंग देखने को मिला है । छत्तीसगढ़ विधान सभा ने संसदीय इतिहास में आज इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की समाप्ति के बाद जो इतिहास रचा है, यही संसदीय प्रजातंत्र का मूल भाव है ।

मैं समझता हूं विश्व के उन तमाम् देशों में जहां कि लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, के किसी भी सदन में पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों के मध्य सकारात्मक विचारार्थ और लोकतांत्रिक परिपक्वता का इससे और सशक्त उदाहरण विरला ही उपलब्ध होगा। आप सभी पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने इस सदन के सम्मान के संवर्धन और संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्निहित भावों को महसूस करते हुए जो व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, वह कम होगी । मैं आपको बधाई देता हूँ।

Scanned with OKEN Scanner

आसंदी सदन की आत्मा स्वरूप है और उसके प्रति आप सबके मन में सम्मान की भावना के फलस्वरूप मुझे प्रत्येक परिस्थिति में निर्णय लेने में, आपका यही भाव सम्बल प्रदान करता है।

मैं यहाँ 2 मार्च, 2006 की सभा की कार्यवाही को उद्घृत करना चाहता हूँ, जब प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने मुझे यह सूचित किया था कि वे सलवा जुडूम आंदोलन में घटित घटना स्थल पर जा रहे हैं और जब मैंने यह जानकारी सभा में पक्ष के माननीय सदस्यों को दी, तब सदन के नेता ने अत्यंत सह्दयता से मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि वित्तीय कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है और यदि वित्तीय कार्य में प्रतिपक्ष के विचार नहीं आ सके तो यह उचित स्थिति नहीं होगी और इसलिए सभा की कार्यवाही प्रतिपक्ष के सदस्यों की उपस्थिति के लिए स्थगित की गई। सभा में पक्ष एवं प्रतिपक्ष में सद्भावना का यह भाव निरन्तर उपस्थित रहेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।

अब लगभग ढाई वर्ष के पश्चात् मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि समस्त माननीय सदस्यों एवं मंत्रियों ने स्वयं को उस भूमिका के अनकूल ढाल लिया है, जिस हेतु जनता ने उन्हें इस सदन में निर्वाचित कर भेजा है। माननीय मंत्री जहाँ अब पूर्ण कौशल से सामना करते हैं, माननीय सदस्य भी जन-समस्याओं को न केवल उठाते हैं, अपितु प्रभावी रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। मैं कह सकता हूँ कि यह द्वितीय विधान सभा अब परिपक्वता को प्राप्त हो गई है।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत केंद्र से प्राप्त राशि एवं उसके उपयोग तथा एन.जी.ओ. के चयन विषयक श्री त्रिलोचन पटेल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक 1876), दिनाँक 08 मार्च, 2006 में विरोधाभासी जानकारी एवं विसंगति को दृष्टिगत रखते हुए मैंने स्वमेव प्रकरण जाँच हेतु प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित किया है ताकि राशि के एन.जी.ओ. को आवंटन एवं एन.जी.ओ. द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जा सके।

वैसे तो यह बजट सत्र था, जिसमें 48 विभागों की 72 मांगों पर माननीय सदस्यों ने चर्चा की और चर्चा उपरान्त माँगों को पारित किया, किंतु वित्तीय कार्य के साथ-साथ वर्तमान सत्र में लगभग समस्त सामयिक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रत्येक विषय पर व्यापक एवं विस्तार से चर्चा हुई। विषय चाहे राज्य लोक सेवा आयोग की कार्य-प्रणाली का रहा हो या जर्मप्लाज्म की चोरी, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विभागों से जुड़े हुए विभिन्न विषय हो अथवा प्रदेश में असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान या राज्य में नक्सलवाद से उभरती हुई समस्या और उसके निराकरण पर सभा में चर्चा हुई। सभा में हुई चर्चा में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचार छत्तीसगढ़ के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे, मेरा यह दृढ़ विश्वास है।

वर्तमान सत्र में माननीय सदस्यों के लिए एक प्रबोधन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें विशेष रूप से सभा के आलोचनात्मक कार्य अर्थात् ध्यानाकर्षण, स्थगन, शून्यकाल पर सूचनायें, प्रश्न आदि पर व्याख्यान रखे गए।

वर्तमान सत्र में पूर्व सत्र की परम्पराओं को निरन्तर रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को आमंत्रित कर विधान सभा की कार्यवाही देखने का कार्यक्रम जारी रखा गया। वर्तमान सत्र में 11 महाविद्यालयों के 245 छात्र-छात्राओं ने सभा की कार्यवाही देखी और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों के प्रेस से जुड़े हुए प्रतिनिधियों ने भी निरन्तर तीन दिनों तक क्रम से सभा की कार्यवाही का अवलोकन किया।

वर्तमान सत्र में कल दिनांक 29 मार्च, 2006 को उत्कृष्ट विधायक एवं उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार पुरस्कार का वितरण भी महामहिम राज्यपाल महोदय के करकमलों से सम्पन्न हुआ। विधायक एवं प्रेस प्रतिनिधियों को उनके कर्त्तव्य निर्वहन की दृष्टि से आकलन कर पुरस्कृत करने से निश्चित तौर पर इस प्रदेश की दो करोड़ जनता परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से लाभान्वित होती है।

वर्तमान सत्र में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। दिनांक 07 मार्च, 2006 को छत्तीसगढ़ प्राकृतिक एवं योग संस्थान, नगपुरा द्वारा योग एवं नृत्य पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्राकृतिक भोज का आयोजन, दिनांक 09 मार्च, 2006 को छत्तीसगढ़ फिल्म एवं विडियो एलबम के कलाकारों की प्रस्तुति, दिनांक 27 मार्च को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं दिनांक 29 मार्च, 2006 को आप समस्त माननीय सदस्यों ने अत्यंत रोचक कार्यक्रम सांस्कृतिक संध्या में प्रस्तुत किए और इसके साथ ही सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका अनुराधा पौड़वाल का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। लम्बे सत्र में ऐसे आयोजन माननीय सदस्यों को इतने व्यस्त समय में कुछ राहत प्रदान करते हैं।

इस सत्र में एक विशेष बात यह रही कि प्रथम बार वार्षिक वित्तीय विवरण सामान्य दिनों में नियमों के अनुरूप दोपहर 3.00 बजे प्रस्तुत न करते हुए ऐसे दिन, जिस दिन कि बैठक निर्धारित नहीं थी, दिनांक 25 फरवरी, 2006 को अतिरिक्त बैठक बुलाकर माननीय वित्त मंत्री जी ने सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। आगामी वर्षों में इसे एक परम्परा के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जायेगा।

मैं इस सत्र में सम्पन्न कार्यों की संक्षिप्त जानकारी से अवगत करा रहा हूँ। इस बजट सत्र में कुल 30 कार्य दिवसों में 157 घण्टे, 14 मिनट चर्चा हुई। भोजन अवकाश स्थगित कर अथवा सायंकाल अतिरिक्त समय में बैठकर लगभग 28 घण्टे अतिरिक्त कार्य सम्पादित किया गया। इन 30 दिवसों में 296 प्रश्न सभा में पूछे गए और उनके उत्तर शासन द्वारा दिए गए, प्रति दिन पूछे गए प्रश्नों का औसत 10 रहा, 1823 तारांकित एवं 833 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं और इस प्रकार कुल प्रश्नों की 2656 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

वर्तमान सत्र में 270 स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें प्राप्त हुईं जिसमें से 1 (20सूचनाएं समामेलित) पर चर्चा तथा 1 (27 सूचनाएं समामेलित) पर ग्राह्यता की चर्चा हुई और शून्यकाल की 132 सूचनाएं प्राप्त हुईं और 61 सूचनाएं ग्राह्य हुईं। ध्यानाकर्षण की कुल 914 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से 235 सूचनाएं ग्राह्य एवं 642 सूचनाएं अग्राह्य रहीं तथा वर्तमान सत्र में 343 याचिकाएं माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई जिनमें से 179 याचिकाएं ग्राह्य एवं 157 याचिकाएं अग्राह्य रहीं एवं 7 याचिकायें विचाराधीन हैं । इस सत्र में 51 अशासकीय संकल्प माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए, जिनमें से सदन में चर्चा उपरान्त 4 स्वीकृत हुए और 4 संकल्प अस्वीकृत हुए वं 1 संकल्प वापस हुआ । इस सत्र में 9 विधेयकों की सूचना प्राप्त हुई जिसमें से 9 विधेयक पारित हुए तथा विभिन्न समितियों के 16 प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए ।

मैं सत्र समापन के अवसर पर पुनः सदन के माननीय नेता एवं नेता प्रतिपक्ष तथा समस्त माननीय सदस्यों के प्रति उनके सहयोग एवं आसंदी के प्रति उनके व्यक्त विश्वास के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, जिसके फलस्वरूप मैं इस सभा की कार्यवाही को निर्बाध रूप से संचालित कर सका ।

मैं माननीय उपाध्यक्ष तथा सभापति तालिका के सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनका सहयोग मुझे सदन के संचालन में निरंतर मिला ।

मैं इस अवसर पर समस्त पत्रकार साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस सभा की कार्यवाही को इस प्रदेश की दो करोड़ सात लाख जनता के समक्ष प्रमुखता के साथ रखा और इस सभा द्वारा जनहित में लिए गए निर्णयों से प्रदेश की जनता को अवगत कराया ।

मैं इस अवसर पर विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा राज्य शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने इस सभा की कार्यवाही में अपने दायित्वों का पालन करते हुए सहयोग दिया । सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के लिए मैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए मैं सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सुरक्षा कर्मियों को भी बधाई देता हूँ ।

इस सभा की यह परम्परा रही है कि आगामी सत्र की संभावित तिथि की जानकारी सभा को दी जाती है । आगामी सत्र की संभावित तिथियाँ दिनांक 12 जुलाई, 2006 से 21 जुलाई, 2006 तक प्रस्तावित है ।

आज चैत्र सुदी 1, संवत 2063 हिन्दू नव वर्ष के अवसर पर अपनी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ तथा इस सभा के माध्यम से प्रदेश की दो करोड़ जनता के लिए इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में खुशहाली और सुख-समृद्धि से परिपूर्ण आगामी वर्ष की कामना करता हूँ ।

जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने भी इस अवसर पर अपने उद्‌गार व्यक्त किए ।

20. राष्ट्रगान

(सदन में राष्ट्रगान जन-गण-मन की धुन बजाई गई ।)

सांय 6.43 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई ।

Scanned with OKEN Scanner